केंद्रीयमाध्यमिकशिक्षा बोर्ड

प्रीत विहार, दिल्ली -92

निविदा सं।001/2015/भर्ती कक्ष　　　　　　　　　　　　　　　　दिनांक: 31/03/2015

बोली दस्तावेज

"मानव शक्ति सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निविदा"

(www.cbse.nic.in पर देखें **)**

(मार्च, 2015)

मूल्य: रू.1000/- मात्र

केंद्रीयमाध्यमिकशिक्षा बोर्ड

प्रीत विहार, दिल्ली -92

निविदा सं।001/2015/भर्ती कक्ष दिनांक: 31/03/2015

निविदा दस्तावेज

"मानव शक्ति सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए"

विषय सूची सारणी

भाग -1 निविदा आमंत्रण सूचना 04

भाग -2 बोली प्रस्तुतिकरण फार्म (अनुबंध -IV) 07

भाग -3 बोलिदाताओं के लिए अनुदेश 10

भाग -4अनुबंध की सामान्य शर्तें (GCC) 23

भाग -5 अनुबंध की विशेष शर्तें (SCC) 35

भाग -6 कार्य सूची/आवश्यकताएं 39

भाग -7 तकनीकी बोली - फार्म (अनुबंध -I) 47

भाग -8 वित्तीय बोली -फार्म (अनुबंध -III) 50

भाग -9 फार्म 53

9.1 घोषणा पत्र (अनुबंध -II) 54

9.2 कार्य निष्पादन प्रतिभूति बाण्ड फार्म (अनुबंध -V)........................... 55

9.3 अनुबंध फार्म (अनुबंध -VI) 57

9.4 बोली खुलने के समय हाजिर रहने के लिए प्राधिकारपत्र (अनुबंध -VII).. 59

9.5 अनुबंध पूर्वअखण्डता समझौता (अनुबंध-VIII) 60

9.6 निविदा स्वीकृति पत्र (अनुबंध-IX).. 69

भाग -10 जांच सूची (अनुबंध-X) 72

अनुबंध-क(A) 74

केंद्रीयमाध्यमिकशिक्षा बोर्ड

प्रीत विहार, दिल्ली -92

निविदा सं।001/2015/भर्ती कक्ष दिनांक: 31/03/2015

बोली दस्तावेजों के बारे में संक्षिप्त सूचना

निविदा सं.	001/2015/भर्ती कक्ष
अनुबंध की अवधि	करारनामे से एक वर्ष तक, जिसे संतोषजनक सेवाओं के उपलब्ध कराए जाने पर बढ़ाया जा सकता है।
बोली प्रस्तुत करने हेतु आरंभिक तिथि और समय	दिनांक01/04/2015 को 10.30 बजे
बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और समय	दिनांक10/04/2015 को 15.00 बजे तक
तकनीकी बोली खुलने की तारीख एवं समय	दिनांक10/04/2015 को 16.00 बजे
तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं के लिए वित्तीय बोलियां खुलने की तिथि	बाद में बताया जाएगा
अग्रिमजमा राशि (EMD)	किसी भी अनुसूचित बैंक द्वारा "सचिव, सीबीएसई" के पार्टी में जारी रू.1,00,000/- (एक लाख रूपये मात्र) का रेखांकित मांग ड्राफ्ट/बैंकरज चेक, जो दिल्ली में देय हो।
निविदा दस्तावेज का मूल्य	रू.1,000/- (रूपये एक हजार मात्र)
बोली की वैधता अवधि	90 दिन
अनुबंधों सहित निविदा दस्तावेज के कुल पृष्ठों की संख्या.	76
बोली प्रस्तुत करने के लिए पता एवं स्थान	स्वागत कक्ष, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, 2, सामुदायिक केंद्र, प्रीत विहार, दिल्ली - 92

भाग – 1

(निविदा आमंत्रण सूचना)

केंद्रीयमाध्यमिकशिक्षा बोर्ड

प्रीत विहार, दिल्ली -92

निविदा सं।001/2015/भर्ती कक्ष दिनांक: 31/03/2015

<u>निविदा आमंत्रण सूचना</u>

अग्रिमजमा राशि : रू.1,00,000/- (रूपये एक लाख मात्र)

निविदा दस्तावेज का मूल्य : रू.1,000/- (रूपये एक हजार मात्र)

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षाबोर्ड,दिल्लीअपनेदिल्लीकेकार्यालयों के लिएमानवशक्ति सेवाएंप्रदान करने के लिएपंजीकृतऔरअधिकृतफर्मों /एजेंसियों से,दोहरीबोलीप्रणाली के तहत, सीलबंद लिफाफे में बोलियांआमंत्रित करताहै।

निविदा दस्तावेजमें दिए गएनिर्देशों के अनुसार विधिवत् भरे हुए सीलबंद बोली दस्तावेजों (तकनीकी बोली और वित्तीय बोली के साथ साथ अग्रिम जमा राशि सहित) को,सचिव,केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षाबोर्ड, 2,सामुदायिक केंद्र,प्रीतविहार,दिल्लीकोसंबोधित किया जाना चाहिएऔर इन्हें दिनांक 10/04/2015 को अधिकतम15:00बजे तक निविदा बॉक्स में डाल दिया जाना चाहिए।

सीलकिए हुएबोली दस्तावेज़ों कोनिर्धारिततिथि और समयतकमुख्यालयभवनकेस्वागत कक्ष,पररखे गए निविदा बॉक्समेंडालदिया जाना चाहिए। निविदा दस्तावेजों को अनुभागअधिकारी, (भर्ती कक्ष),कमरा नं306, तीसरातल,केंद्रीयमाध्यमिक शिक्षा बोर्ड, 2,सामुदायिक केंद्र,प्रीतविहारदिल्ली 92 से, किसी भी कार्य दिवस पर, 3.00 बजे अपराहन से 5.00 बजे अपराहन के दौरान, निविदा दस्तावेज के मूल्य के रूप में रूपये 1,000/- का भुगतान,"सचिव, सीबीएसई "के नाममेंबैंक ड्राफ्ट के माध्यम से, जो कि दिल्ली में देय हो, कर के, प्राप्त किया जा सकता है।

निविदा दस्तावेजों को इस कार्यालय की वेबसाइट www.cbse.nic.in से भीडाउन लोड किया जा सकता है। जो बोलीदाता कार्यालय की वेबसाइट से निविदा दस्तावेजों को डाउन लोड करना चाहते है, उनको बोली दस्तावेजों तथा अग्रिम जमा राशि के साथ साथ निविदा के मूल्य के रूप में रू.1000/- कीराशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्रस्तुतकरनी चाहिए।

तकनीकी बोलियों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली के समिति कक्ष में दिनांक 10/04/2015 को 16.00 बजे, बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत समिति द्वारा, ऐसे बोलिदाताओं की उपस्थिति में, जो उपस्थित रहना चाहे,खोला जाएगा।जिन बोलिदाताओं की तकनीकीबोली को स्वीकारकियाजाएगा, केवल उन्ही बोलिदाताओं की वित्तीयबोलियों को,इसउद्देश्य के लिएअधिकृतसमिति द्वाराखोला जाएगा। केवल तकनीकी रूप से योग्य पाए गए बोलिदाताओं को वित्तीय बोलियां खोलने कीतिथि, समय औरस्थान की जानकारी दी जाएगी।

केंद्रीयमाध्यमिकशिक्षा बोर्ड

प्रीत विहार, दिल्ली -92

निविदा सं।001/2015/भर्ती कक्ष दिनांक: 31/03/2015

सचिव, सीबीएसई के पास, किसी भी या सभी बोलियों को, बिना कोई कारण बताए, रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है तथा सचिव, सीबीएसई का निर्णय अंतिम तथा सभी को मान्य होगा ।

(रनवीर सिंह)
संयुक्त सचिव (प्रशा.एवं विधि)
फोन : 011-22517252

केंद्रीयमाध्यमिकशिक्षा बोर्ड

प्रीत विहार, दिल्ली -92

निविदा सं।001/2015/भर्ती कक्ष दिनांक: 31/03/2015

भाग – 2

(बोली प्रस्तुतिकरण फार्म)

केंद्रीयमाध्यमिकशिक्षा बोर्ड

प्रीत विहार, दिल्ली -92

निविदा सं।001/2015/भर्ती कक्ष   दिनांक: 31/03/2015

अनुबंध-IV

<u>बोली प्रस्तुतिकरण फार्म</u>

दिनांक:

बोली- पत्र

सेवामें,

सचिव,
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
2, सामुदायिक केंद्र,
प्रीत विहार, दिल्ली-92.

संदर्भ: बोलीनिविदासं. 001/2015/भर्ती कक्ष दिनांक 31/03/2015 के लिए आमंत्रण

हम, अधोहस्ताक्षरी, घोषणा करते है कि:

1. हमनेंजांच कर ली है औरबोलिदाताओं के लिए जारी अनुदेशों वाले संलग्नकों सहित बोली दस्जावेजोंको लगाने के प्रति हमारी कोई शर्त नहीं है ।
2. हम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के दिल्ली/ नई दिल्ली में कार्यरत कार्यालयों के लिए मानव शक्ति सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए बोली दस्तावेजों के अनुसार निष्पादन करने का प्रस्ताव करते है ।
3. बोली दस्तावेजों के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर, हमारी बोली नियत तिथि से 90 दिन तक वैध होगी और हमारे ऊपर यह बाध्यकारी रहेगी तथा उक्त अवधि के समाप्त होने से पहले किसी भी समय इसे स्वीकार किया जा सकता है ।
4. यदि हमारी बोली स्वीकार कर ली जाती है तो हम बोली दस्तावेजों के अनुसार कार्य निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करेंगे ।
5. हम यह भी घोषणा करते है कि भारत सरकार ने या अन्य किसी सरकारी निकाय ने हमें भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, कपटपूर्ण या अवपीड़क व्यवहार के लिए या किसी भी असफलता / किसी भी गंभीर प्रकृति की कमियों के लिए अयोग्य नहीं ठहराया है या हमें प्रतिबंध काल सूची में नहीं डाला है।
6. हम इस बोली दस्तावेज में दी गई सभी शर्तों एंव निबंधनों को भी स्वीकार करते है तथा इनका पालन करने का वचन देते है, जिसमें यह शर्त भी शामिल है कि आप उच्चतम श्रेणी की बोली/निम्न बोली को या आप को प्राप्त होने वाली किसी भी अन्य बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है ।

निविदा सं।001/2015/भर्ती कक्ष दिनांक: 31/03/2015

भवदीय,

अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता
(बोलीदाता कम्पनी की ओर से हस्ताक्षर करने वाले अधिकृत व्यक्ति को, इस आशय के अधिकार पत्र की प्रति संलग्न करनी चाहिए)

पूरा नाम और पदनाम

(इसे बोलीदाता द्वारा अपने पत्र - शीर्ष पर प्रिन्ट किया जाना चाहिए)

भाग – 3

(बोलिदाताओं के लिए अनुदेश)

केंद्रीयमाध्यमिकशिक्षा बोर्ड

प्रीत विहार, दिल्ली -92

निविदा सं।001/2015/भर्ती कक्ष दिनांक: 31/03/2015

बोलिदाताओं के लिए अनुदेश

1. सामान्य अनुदेश

1.1 बोली/ निविदा दस्तावेज के उद्देश्य से,'कैंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड' के लिए 'सीबीएसई' और बोलीदाता /सफल बोलीदातके लिए'ठेकेदार' और /या बोलीदाता या आपस में अदल बदल कर, संदर्भित किया जाएगा।

1.2 सीलकिए हुएबोली दस्तावेज़ों कोनिर्धारिततिथि और समयपरमुख्यालयभवनमेंस्वागत कक्ष,पररखे गए निविदा बॉक्समेंडालदिया जाना चाहिए। निविदा दस्तावेजों को अनुभागअधिकारी, (भर्ती कक्ष),कमरा नं306, तीसरातल,कैंद्रीयमाध्यमिक शिक्षा बोर्ड, 2,सामुदायिक कैंद्र,प्रीतविहारदिल्ली 92-से, किसी भी कार्य दिवस पर, अपराहन 3.00 बजे से,अपराहन 5.00 बजे के दौरान, निविदा दस्तावेज के मूल्य के रूप में रूपये 1,000/- का भुगतान,''सचिव, सीबीएसई "के पार्टी मेंबैंक ड्राफ्ट के माध्यम से, जो कि दिल्ली में देय हो, कर के प्राप्त किया जा सकता है।

1.3 निविदा दस्तावेजों को इस कार्यालय की वेबसाइट www.cbse.nic.inसे भीडाउन लोडकिया जा सकता है। जो बोलीदाता कार्यालय की वेबसाइट से निविदा दस्तावेजों को डाउन लोड करना चाहते है, उनको बोली दस्तावेजों तथा अग्रिम जमा राशि के साथ साथ निविदा के मूल्य के रूप में रू.1000/- कीराशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्रस्तुतकरनी चाहिए।

1.4 हालांकि, निविदा दस्तावेजों का प्रारूप बनाते समय त्रुटियों से बचने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है,फिर भी बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि इनकीसावधानीपूर्वक जांच कर ले। निविदा दस्तावेजों में बाद में पाई गई किसी भी प्रकार की त्रुटि के कारण किसी भी दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

1.5 निविदा दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर मोहर लगाई जाएगी तथा निविदा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा इन पर हस्ताक्षर किये जाएंगें, जो कि इस बात का प्रमाण होगा कि उसने / उन्होंने इसे देख लिया है और अनुबंध की विभिन्न शर्तों सहित उसने पूरी निविदा को स्वीकार कर लिया है। दस्तावेजों में से किसी पर भी इस प्रकार से हस्ताक्षर न किए जाने पर,किसी भी बोली को, सीबीएसई द्वारा अपने विवेक के आधार पर रद्द किया जा सकता है । **बोली के दस्तावेजों से किसी भी पृष्ठ को न तो हटाया जाना चाहिए / अलग नहीं किया जाना चाहिए ।**

1.6 बोलीदाता की ओर से हस्ताक्षर करने के अधिकार के प्रमाण स्वरूप, बोलीदाता द्वारा अधिकार पत्र / मुख्तारनामे की प्रति संलग्न की जानी चाहिए।

1.7 सभी बोलीदाताओंकोइस के द्वारा स्पष्ट रूप सेसूचित किया जाता है कि सशर्तप्रस्तावों याअनुबंध की शर्तोंसे विचलनवाले प्रस्तावों,न्यूनतमपात्रता मानदंडको पूरा न करने वाली बोलियों,अपेक्षितराशिप्रारूपपर अग्रिम जमा राशि रहित वाली तकनीकी बोलियों या निविदादस्तावेजोंमें निर्धारित की गई अन्य किन्हीं भी अपेक्षाओं को पूरा न करने वाली बोलियों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

1.8 बोलीदाता कंपनी को लिमिटेड / प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी ही होना चाहिए जो कि कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत हो । स्वामित्व वाली कंपनी / संयुक्त वेचर कन्सोर्टियम वाली कंपनी को बोली लगाने की अनुमति नहीं है।

1.9 बोली लगाने वाली पार्टियों में बोलीदाता (जिन्हें कार्य अधिनिर्णित किया गया है) तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली होगे।

1.10 अनुबंध के सभी प्रयोजनों के लिए, जिसमें इस के तहत मध्यस्था भी शामिल है, बोली में दिया गया बोलीदाता का पता अंतिम होगा बशर्ते कि बोलीदाता द्वारा पते में परिवर्तनकी सूचना एक अलग पत्र के द्वारा पावती के साथ पंजीकृत डाक से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षाबोर्ड कोनदे दी हो। बोलीदाताद्वारा उपरोक्त ढंगसेपते में परिवर्तनकी सूचना देने में हुई किसी भीप्रकारकीचूकयात्रुटिके परिणामोंके लिए, वह स्वयं पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

1.11 मानव शक्ति की आवश्यकताएं अनंतिम है तथा सीबीएसई के सक्षम प्राधिकारी के पूर्णतया विवेक के अनुसार बढ़ या घट सकती है।

2. न्यूनतम पात्रता मानदंड

बोलीदाताओं का तकनीकी रूप से चयन करते समय न्यूनतम पात्रता मानदंड निम्नानुसार होंगे -

क. **स्थान** : बोलीदाता का पंजीकृत या शाखा कार्यालय दिल्ली / नई दिल्ली में से किसी एक स्थान पर स्थित होना चाहिए।

ख. **कानूनी वैध अस्तित्व**:बोलीदाता का एकलिमिटेड कंपनीयाकिसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीके रूप में,कंपनी अधिनियम, 1956के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य है।संयुक्त वेचर / कन्सोर्टियम, स्वामित्व वाली, सांझेदारी फर्मों के रूप में बोलीदाताओं को बोली डालने की अनुमति नहीं है।बोलीदाताकी कानूनीवैधताकेसमर्थन में बोलीदाता द्वारा प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

ग. **पंजीकरण**: बोलीदाता का आय - कर विभाग के पास पंजीकृत होना चाहिए और साथ ही श्रम कानूनों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कर्मचारी राज्य बीमानिगम के पास भी पंजीकरण होना चाहिए।

घ. **क्लीरेंस**: बोलीदाता को बिक्री कर / सेवा कर विभाग तथा आय कर विभाग से भी कलीरेंस प्राप्त होनी चाहिए।इस आशय के समर्थन में संबंधित प्रमाण प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

ङ. **अनुभव**:

i) बोलीदाता के पास पिछले दो वर्षों के दौरान सरकारी मंत्रालयों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों /स्वायत निकायों में कम से कम 02 वर्ष कार्य करने का अनुभव होना चाहिए।

ii) बोलीदाता के पास, सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों / बैंकों तथा सरकारी विभागों इत्यादि में मानव शक्ति उपलब्ध कराए जाने का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

च. **टर्नओवर :**बोलीदाता की पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान कम से कम 2 करोड़ रूपये प्रति वर्ष की वित्तीय टर्नओवर होनी चाहिए।

2.1 न्यूनतमपात्रता मानदंड के समर्थन में दस्तावेज

(i) क्रम से।2 (क) पर दिए गए न्यूनतम पात्रता मानदंडों के पूरी तरह से पूरा करने के प्रमाण स्वरूप फर्मों / कंपनियों के संबंधित रजिस्ट्रार द्वारा जारी समामेलन के प्रमण पत्रों की सत्यापित प्रतियां.

(ii) क्रम से।2 (ग) पर दिए गए न्यूनतम पात्रता मानदंडों के पूरी तरह से पूरा करने के प्रमाण स्वरूप पैन (PAN), श्रम पंजीकरण, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पंजीकरण, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पंजीकरण की सत्यापित प्रतियां स्वीकार्य होगी.

(iii) क्रम से।2 (घ) पर दिए गए न्यूनतम पात्रता मानदंडों के पूरी तरह से पूरा करने के प्रमाण स्वरूप बिक्री कर / सेवा कर विभाग, आय कर विभाग से प्राप्त, पिछले दो वर्षों की विवारिणयों के कलीरेन्स प्रमाण पत्रों की सत्यपित प्रतियां स्वीकार्य होगी.

(iv) क्रम से।2 (ङ.) पर दिए गए न्यूनतम पात्रता मानदंड के पूरी तरह से पूरा करने के प्रमाण स्वरूपसरकारी मंत्रालयों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों /स्वायत निकायों / सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों / बैंकों तथा सरकारी विभागों इत्यादि में पूरे किए गए कार्य के लिए जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां स्वीकार्य होंगी.

(v) पूरेदो वित्तीय वर्षों अर्थात 2014-14 और 2014-15 के लिए अंकेक्षिततुलन पत्र की सत्यापित प्रतियां. हालांकि,वर्ष 2014 - 15के लिएअनंतिमतुलन पत्र की प्रमाणितऔरहस्ताक्षरित प्रतियां स्वीकार्य होगी।

(vi) पिछलीचार तिमाहियोंके संबंध मेंउपलब्धमानवशक्तिके समर्थन मेंमानवशक्तिकेमजदूरीकेरजिस्टर औरईपीएफओकेचालानोंकी सत्यापितप्रतियां(ईपीएफओको विधिवत्प्रस्तुत की हुई)स्वीकार्य होगी।

3. अग्रिम जमा राशि :

3.1 इसबोली के साथ दिल्ली में किसी भी अनुसूचित बैंक पर जारी मांग ड्राफ्ट / भुगतान आदेश के रूप में रू.1,00,000/- (रूपयेएकलाखमात्र)कीअग्रिमजमाराशि,जोकिप्रतिदाय (बिना ब्याज) होगी, लगी होनी चाहिए।

3.2 अग्रिम राशि याप्रतिभूति जमा के रूप में, पहले से जमा की गई राशि को या किसी भी पिछ्लेकामके संबंध मेंविभाग के पास लंबितकिसीभीबिल की राशि के समायोजनके लिएकिसी भी अनुरोधकोस्वीकार नहीं किया जाएगा।

3.3 बोलीदाताओंकोउनके प्रस्ताव कोवापस लेनेया इनकेनियमों और शर्तों कोसंशोधित करने कीअनुमति नहीं दी जाएगी।यदि कोई बोलीदाता, इनका अनुपालन करने तथा मामले मेंनिर्धारितशर्तोंका पालन करने में विफल रहता है यादरें उद्धृत करने के बाद पीछे हटता है तो सरकार द्वारा उक्त बोली की प्रतिभूति राशि को जब्त कर लिया जाएगा।

3.4 अग्रिम राशि के बिना बोलियों को सरसरी तौर पर ही निरस्त कर दिया जाएगा।

3.5 अग्रिम जमा राशि या प्रतिभूति जमाराशि के मूल्य में कमी होने या इस पर ब्याज के संबंध में सरकार / विभाग के किसी भी दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

3.6 बोली प्रतिभूति राशि को निम्न अवस्थाओं में जब्त कर लिया जाएगा:

(i) बोली आमंत्रणकर्त्ता द्वारा बोली फार्म में निर्दिष्ट बोली की वैधता अवधि के दौरान यदि बोलीदाता अपनी बोली वापस ले लेता है; या

(ii) सफल बोलीदाता के मामले में, यदि बोलीदाता

(क) निविदा दस्तावेज के अनुसार अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है तो,

(ख) सीबीएसई द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा के अंदर, निविदा दस्तावेज की शर्तों के अनुसार, कार्य निष्पादन हेतु अपेक्षित प्रतिभूति को प्रस्तुत करने में यदि बोलीदाता विफल रहता है.

(ग) बोलीदाता,सेवाओं या इस के किसी भी भाग को, उस के द्वारा उद्धृत दरों पर पूरा करने में विफल रहता है या इससे इंकार कर देता है।

4. बोलियों की वैधता

4.1 बोलियों के जमा किए जाने की अंतिम तिथि से 90 दिन तक बोलियां वैध रहेगी तथा स्वीकार किए जाने के लिए खुली रहेंगी।

4.2 यदि सीबीएसई परक्रामण के लिए बोलिदाताओं को आमंत्रित करता है तो इसे बोलियों के मूल प्रस्ताव को निरस्त या इनकी निकासी नहीं माना जाएगा तथा मूल प्रस्ताव को बोलीदाता पर बाध्यकारी माना जाएगा।

4.3 सीबीएसई को अधिकार होगा कि वह बिना कोई संशोधन किए तथा बिना कोई कारण बताएं इस अवधि को 60 दिन के लिए आगे बढ़ा दे।

5. बोलियों को तैयार करना

5.1 **भाषा :**बोलियां तथा इस के साथ संलग्न सभी दस्तावेज अंग्रेजी या हिन्दी में होंगे.

5.2 **तकनीकी बोली**: तकनीकी बोली को निविदा दस्तावेज में दिए गए अनुदेशों के अनुसार, समस्त अपेक्षित सूचना के साथ, न्यूनतम पात्रता मानदंड़ों के समर्थन में दस्तावेजों, अपेक्षित राशि की वैघ अग्रिम जमा राशि के साथ तैयार किया जाना चाहिए।

बोली में शामिल दस्तावेज :

क. कंपनी के पत्र शीर्ष पर मुद्रित तथा विधिवत् हस्ताक्षरित तकनीकी बोली जमा फार्म (भाग 1).

ख. निविदा दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर तथा मोहर लगी हो.

ग. सम्पर्क विवरण फार्म, विधिवत् भरा हुआ तथा हस्ताक्षरितहो (भाग 6.1)

घ. वित्तीय क्षमता फार्म – विधिवत् भरा हुआ, हस्ताक्षरित और मोहर लगा हुआ हो (भाग 6.2)

ङ. अग्रिम जमा राशि रू. 1,00,000/-

च. भाग- 2 (उपरोक्त पैरा 2 तथा 2.1) में,दिए गए न्यूनतम पात्रता मानदंड़ोंको समस्त प्रकार से पूरा करने के प्रमाण स्वरूप, इसके समर्थन में सभी दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां।

तकनीकी बोली को एक पृथक सीलबंद लिफाफे में रखा जाना चाहिए जिस पर बोलीदाताके नाम व पते के साथ " निविदा सं।418/GS/52011दिनांक06.09.2011**(गलत सूचना,कृपया जांच लें)** के लिए तकनीकी बोली" लिखा हो।

5.3 **वित्तीय बोली**: बोलीदाता को चाहिए कि वह निविदा दस्तावेज (भाग 7) में दी गई मूल्य अनुसूची में वित्तीय बोली को तैयार करें।तत्पश्चात, वित्तीय बोली को एक पृथक सीलबंद लिफाफे में रखा जाए जिस पर बोलीदाताके नाम व पते के साथ " निविदा सं. ।001/2015/भर्ती कक्ष दिनांक 31.03.2015 के लिए वित्तीयबोली" लिखा हो।

6. बोलियों का प्रस्तुततिकरण

6.1 बोलीदाताद्वारा एक सील बंद लिफाफे के अंदर,दोअलग अलग-सीलबंदलिफाफोंमें, (ii) तकनीकी बोलीऔर (ii) वित्तीयबोली, जिनके लिफाफे के ऊपर यह साफ - साफ लिखा हो,तैयार किया जाएगा औरदोनों लिफाफों को एक अन्य सील बंद लिफाफे मेंरखा जाएगा तथा इस पर विधिवत् तदनुसार अंकित किया जाएगा।

6.2 बोली,सचिव,केद्रीयमाध्यमिक शिक्षा बोर्ड,2,सामुदायिक केंद्र,प्रीतविहार,दिल्लीको संबोधित होगी तथा इसे अधिकतम 10/04/2015को15:00बजे तक निविदा बॉक्स में डाल दिया जाना चाहिए.

6.3 बोलियों को निर्धारिततिथि और समयतक स्वागत कक्ष,मुख्यालयभवनमें रखेनिविदा बॉक्स में डाल दियाजाए।उपरोक्त तिथि एवं समयके पश्चात् किसी भी बोली को स्वीकार नहींकिया जाएगा।

6.4 **देर सेप्राप्तबोलियां** :उपरोक्तनिर्धारित किए गए अनुसार,बोलियों को जमा करने के लिए निर्धारित समय सीमा के पश्चात्,प्राप्त होने वालीकिसी भी बोली पर विचार नहीं किया जाएगाऔरइन्हेंबोलीदाता को, बिना खोले,लौटा दिया जाएगा।

7. बोली खोलने की प्रक्रिया

7.1 तकनीकी बोलीकोदिनांक 10/04/2015 को 16.00 बजे, बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत समिति के द्वारा, उपस्थित रहने के इच्छुक बोलीदाताओंया उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में,केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षाबोर्ड, दिल्ली केसमिति कक्षमेंखोला जाएगा।

7.2 जिन बोलीदाताओं की तकनीकी बोलियोंयोग्य पाई जाएंगी,केवल उन्हीं बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियों को, इस प्रयोजन के लिएअधिकृतसमिति द्वारा,खोला जाएगा।वित्तीयबोलियों को खोलने की तिथि, समय औरस्थान की सूचना तकनीकी रूप से योग्य पाई गईबोलियों के बोलीदाताओं को दी जाएगी

7.3 बोलीदाताओं के प्रतिनिधियों को,बोलियों को खोलने से पहले, एक प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करना होगा।

7.4 बोलीदाता या उनके प्रतिनिधि की गैर हाजिरी में,निविदा खोलने की वैघता पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

7.5 सभी उपस्थित बोलीदाताओं या उनके प्रतिनिधियों द्वारा, बोली के सही होने के प्रमाण स्वरूप, मुख्य बोली लिफाफे के ऊपर हस्ताक्षर करने अपेक्षित होंगे।

7.6 तकनीकी बोलीकोखोलने औरअग्रिम जमा राशि के सत्यापन करनेके बाद,तकनीकीबोलियों का मूल्यांकन बाद में किया जाएगा ताकि निविदा दस्तावेजमेंनिर्दिष्ट किए गए अनुसार बोलीदाताओं के द्वारा न्यूनतमपात्रतामानदंडों को पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जा सके।

7.7 बोलीदाता या उसके प्रतिनिधि द्वारा बोली के लिफाफे पर हस्ताक्षर करने से मना किए जाने पर, निविदा खोलने वाली समिति के निर्णय के आधार पर, उसकी बोली को अयोग्य ठहराया जा सकता है।

7.8 प्रारंभिक संवीक्षा अर्थात अग्रिम जमा राशि के आधार पर निविदा खोलने वाली समितिद्वारा बोली को वैध या अवैघ घोषित किया जाएगा।हालांकि,विस्तृत मूल्यांकनकेवल वैधबोलीके संबंध मेंकिया जाएगा।

7.9 बोली लगाने वालेया उसके प्रतिनिधिके उपस्थित होने परअवैघ बोलियों को,मौके पर हीवापस कर दिया जाएगा।अन्य मामलों में,बोलियोंको,निविदा खोलने वाली समितिकीटिप्पणियों के साथउनकेउपलब्धपते परस्पीड पोस्टसेभेज दियाजाएगा।

7.10 बोलियोंको खोलने के लिए निर्धारिततिथि को, यदि सरकारद्वाराबाद में अवकाश घोषित कर दिया जाता हैतोसंशोधिततिथि- अनुसूची को अधिसूचित किया जाएगा।हालांकि, इस तरहकीअधिसूचनाके अभाव में, बोलियों को अगली कार्यतिथि को, उसी समय और स्थान परखोला जाएगा।

8. तकनीकी बोली के मूल्यांकन के बारे में स्पष्टीकरण

8.1 तकनीकीबोलियांका मूल्यांकन,बोली लगानेवालोद्वारा प्रस्तुतउपलब्धदस्तावेजोंके आधार पर किया जाएगा।बोलियो को जांचने,मूल्यांकन करने और बोलियों की तुलना तथा बोलीदाताओं कीयोग्यतामें सहायताकरने के लिए,सीबीएसई,अपने विवेक से,किसी भी बोलीदाता से उसकी बोलीकेबारे में स्पष्टीकरण के लिएकहसकती हैं।किसी भी बोलीदाताद्वारा प्रस्तुतकिसी भी प्रकार के ऐसे स्पष्टीकरण को, जो सीबीएसई केअनुरोध के अनुसार न हो, पर विचार नहीं किया जाएगा।स्पष्टीकरणऔरप्रतिक्रिया के लिए,सीबीएसईद्वारा अनुरोधलिखित मेंकिया जाएगा।

8.2 यदि किसी बोलीदाता द्वारा अपनी बोली के संबंध में, सीबीएसई के स्पष्टीकरण हेतु किए गए अनुरोध में दी गई तिथि और समय में स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है तो ऐसे बोलीदाता की बोली को निरस्त किया जा सकता है।

8.3 सीबीएसई के पास यह अधिकार भी सुरक्षित है कि वह बोलीदाता द्वारा बोली के समर्थन में, वाक्यांश 2.1 के अनुसार प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की पुष्टि / स्पष्टीकरण जारीकर्त्ता एजेंसी से कर ले।

9. तकनीकी बोली मूल्यांकन (पृथकीकरण प्रकार से)

9.1 सीबीएसई द्वारा दोहरी बोली प्रणाली का अनुपालन किया जाएगा जिस में तकनीकी बोली तथा वित्तीय बोली का मूल्यांकन अलग अलग किया जाएगा।

9.2 निविदा का मूल्यांकन, तकनीकी मूल्यांकन के 60% भार के आधार पर तथा वित्तीय मूलयंकन के 40% भार के आधार पर किया जाएगा।

9.2.1 तकनीकी बोली का मूल्यांकन निम्न मानदण्डों के आधार पर किया जाएगा:

9.2.2 तकनीकी मूल्यांकन के स्तर के दौरान, प्रत्येक बोलीदाता को नीचे दिए गए मानदंडों के अनुसार, कुल 100 अंकों में से अलग अलग अंक दिए:

(i)	**कार्य करने के वर्षों की संख्या**		**अधिकतम 25 अंक**
	(क)	5 वर्ष से कम	00अंक
	(ख)	5 से 10वर्ष	10अंक
	(ग)	10से15वर्ष	15 अंक
	(e)	15वर्ष तथा इस से ऊपर	25 अंक
(ii)	**टर्नओवर (पिछला वित्तीय वर्ष)**		**अधिकतम 25 अंक**
	(क)	2 करोड़ से कम	00अंक
	(ख)	2से5करोड़	10 अंक
	(ग)	5 से 10करोड़	15 अंक
	(घ)	10 से 15करोड़ और इस से ऊपर	25 अंक
(iii)	**रजिस्टर पर मानव शक्ति की संख्या 1**		**अधिकतम25 अंक**
	(क)	500 से कम	05 अंक
	(ख)	500 से 1000	10अंक
	(ग)	1000 से 1500	15अंक
	(घ)	1500 तथा इस से ऊपर	25 अंक
(iv)	**गुणवत्ता संबंधी अंक**		**अधिकतम 25 अंक**
	(क)	आई एस ओ (5 वर्ष से कम)	05 अंक
	(ख)	आई एस ओ (5 से 10वर्ष)	10 अंक
	(ग)	एस ए 8000	05 अंक
	(घ)	OHSAS 18001	05 अंक

9.2.3 किसी भी बोलीदाता को तकनीकी मूल्यांकन में योग्य बोलीदाता बनने के लिए अनिवार्य रूप से कम से कम 60% अंकअर्थात पैरा 9.2.2के अनुसारकुल100 अकों में से60अंकप्राप्त करने चाहिए ताकि वह तकनीकी वेटेज के आधार पर और बाद मेंवित्तीयबोलियोंको खोलने के लिए पात्रता प्राप्त कर सके।

9.2.4 तकनीकीबोलीमेंकिसीभी बोलीदाताद्वारा प्राप्तकुलअंकों में से (9.2.2 केअनुसार)तकनीकीवेटेजका 60% भार औरवित्तीयवेटेज का 40% भारआवंटित किया जाएगा और इस तरह से पूरी बोली लगाने के लिए कुल 100 % वेटेजबन जाएगी।

उदाहरण 1 (तकनीकी वेटेज के लिए)

*यदि किसी बोलीदाता को तकनीकी मूल्यांकन में कुल 100 अंक में से 80 अंक प्राप्त होते है तो पैरा 9.2.2 का अनुपालन करने पर, उसका **तकनीकी मूल्यांकन मूल्य 48 होगा** अर्थात (80 x 60%)*

9.2.5 तकनीकी मूल्यांकन के दौरान विचार किए जाने के लिए बोलीदाता को पैरा2.1 में दिए गए दस्तावेजी साक्ष्यों के अतिरिक्त 9.2.2 के समर्थन में संबद्ध दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियों को प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

9.3 कोई भी वास्तविक **जवाबदेह बोली** वह होगी जिसमें बोली से संबंधित अपेक्षित दस्तावेजों को समग्र रूप में अर्थात **पैरा 9 की प्रक्रियाओं के अनुपालन** द्वारा **पूरा किया गया** हो।निविदादस्तावेजोंके अनुसारन्यूनतम आवश्यकताओंको पूरा नहीं करने वालीतकनीकीबोलीको निरस्तकर दियाजाएगाऔर उसके वित्तीयप्रस्तावों को, बिना खोले,वापस कर दिया जाएगा।

(ii) बोलीकी जवाबदेही अर्थात प्राधिकार पत्र के साथ पूरे फार्म विधिवत् भरे हुए, हस्ताक्षरित तथा स्वीकृत बोली के दस्तावेज हो।

(iiii) स्वीकार्य प्रारूप पर अपेक्षितराशि सहित वैध अग्रिम जमा राशि की प्राप्ति।

(iii)न्यूनतमपात्रता मानदंडको पूरा करने के प्रमाण स्वरूप दस्तावेज. (ivv)निविदाके अनुसार,बोलीदाता की जवाबदेहीके समर्थनमेंअपेक्षितअन्य कोईदस्तावेज।

9.4 तकनीकी मूल्यांकनके दौरान योग्यपाए गए बोलीदाताको ही वित्तीयबोलियोंको खोलने के समय बुलाया जाएगा।सीबीएसईद्वाराबोलीदाताओं को वित्तीयबोली खोलनेके लिएसमय /स्थान की सूचना लिखित में दी जाएगी।

10. वित्तीय बोली खोलने की प्रक्रिया

10.1 तकनीकी रूप सेयोग्य सभीबोलीदाताओंकीवित्तीय बोलियोंको,योग्यबोलीदाताओं / उनके अधिकृत प्रतिनिधियों, जो वित्तीय बोलियां खोलने के समय उपस्थित रहने के इच्छुक होगें,की उपस्थिति में, नियत तिथि और समय पर खोला जाएगा।

10.2 तकनीकी रूप से योग्यबोलीदाताओं/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों को, जो वित्तीय बोलियोंके खोलनेके समय उपस्थितहोंगे, को अपनी कंपनियों से अधिकारपत्रप्रस्तुत करना अपेक्षित होगा और इन्हें वित्तीय निविदाबोली वाले सभीमोहरबंदलिफाफोंपरहस्ताक्षर करने के लिएकहा जाजाएगा.

10.3 इस बारे में किसी भी प्रकार की आपत्ति करनेवाले बोलीदाता को अयोग्य माना जाएगा और उसकी वित्तीय बोली को उसी समय वापस कर दिया जाएगा।

10.4 बोलिदाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की गैर हाजिरी से, प्रक्रिया की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

10.5प्रत्येकबोलीदाताकेवित्तीयबोलीप्रस्तुत करने केफार्म में दिए गए प्रशासनिक प्रभार को मौके पर हीपढ़ा जाएगा,हालांकि, यहस्पष्ट रूप सेकहा जाता है कि अंतिमप्रशासनिक प्रभारोंपर, वित्तीय बोली की विस्तृत संवीक्षा /अंकगणितीयत्रुटि में सुधार करने के पश्चात् ही,पहुंचाजाएगा।

10.6 वित्तीय बोली की संवीक्षा करने से पहले, मात्र सबसे कम बोली लगानेवालेबोलीदाता कोयह अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता कि वह स्वयं के बारे में बोली प्रक्रिया में सफल बोलीदाता का दावा करे।सफल बोलीदाता (L1) का निर्णय पैरा 11 में वर्णन की गई देय प्रक्रिया का अनुपालनकरने के बाद ही लिया जाएगा।

11. वित्तीय बोली का मूल्यांकन तथा सफल बोलीदाता का निर्धारण

11.1बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे वित्तीय मूल्यांकन के लिए वित्तीय बोली में अपने प्रशासनिक प्रभारों को प्रतिशत में उद्धृत करें।

11.2 इसके लिए,वित्तीय मूल्यांकन किया जाएगा और सभी बोलीदाताओं की बोलियों को 40% वेटेज दी जाएगी।

11.2 निम्नतम प्रशासनिक प्रभारों वाले बोलीदाता (L1) को पूरे 40 अंकदिए जाएंगे (अर्थात40% × प्रशासनिक प्रभार) और उसकी बोली द्वारा प्राप्त कुल अंक नीचे दिए गए उदाहरण 2 के अनुसार होगे:

उदाहरण 2

यदि कोई बोलीदाता *उदाहरण 1 के अनुसार L1 बोलीदाता है तथा L1 के 5% प्रशासनिक प्रभार उद्धृत करता है तो उसको प्राप्त कुल वैल्यू 88 अर्थात (तकनीकी वैल्यू 48 + वित्तीय वैल्यू 40) होगी।*

11.3 अन्य बोलीदाताओं (अर्थातL2,L3,...और अन्य) के वित्तीय अंकों की गणना निम्नानुसार और नीचे उदाहरण 3 में वर्णन किए गए अनुसार की जाएगी:

40 ×निम्नतम वैल्यू (L1प्रशासनिक प्रभार) / उद्धृत वैल्यू (L2याL3..)

उदाहरण 3

यदि उदाहरण 1 में बोलीदाता *L2 बोलीदाता है और वह @ 8% प्रशासनिक प्रभार उद्धृत करता है तो इस प्रकार से भारित वैल्यू 40% होने पर,L2 के वित्तीय स्कोर की गणना निम्नानुसार की जाएगी:*

40 ×5 (L1 के निम्नतम प्रशासनिक प्रभार)/ 8 (उद्धृत प्रशासनिक प्रभार– L2) = 25 (वित्तीय स्कोर)

इस प्रकार से, L2 बोलीदाता की कूल वैल्यू 73 (तकनीकी वैल्यम 48 +वित्तीय वैल्यू 25) होगी।

11.4 बोलीदाताओंके क्रम को, प्रत्येक बोलीदाता द्वारा तकनीकी मूल्यांकन तथा वित्तीय मूल्यांकन, दोनों में, प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर बनाया जाएगा

11.5 न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले तथा उच्चतम अंक / क्रम (अर्थात तकनीकी मूल्यांकन के अंकों और वित्तीयमूल्यांकनअंकों के कुलअंकों)वाले बोलीदाता को सफलबोलीदाता के रूप मेंमाना जाएगा औरआगे की प्रक्रियाके लिएउसके नाम पर पात्रएल1बोलीदाताके रूप में विचार किया जाएगा।

11.6 शब्दों तथा अंकों के बीच विसंगति पाए जाने पर शब्दों में दी गई राशि को प्रभावी माना जाएगा।

12. स्वीकृति का अधिकार:

12.1 केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पास अधिकार सुरक्षित है कि वह उन बोलीदाताओं सहित किसी भी उस बोलीदाता की बोली को, बिना कोई कारण बताए, चाहे जो भी हो,निरस्त कर दें जो अनुदेशों का अनुपालन करने में विफल रहे हो और सबसे कम या विशिष्ट बोलियों में से किसी भी बोली को स्वीकार करने के लिए स्वयंको बाध्य नहीं करता।इस बारे में,सचिव, सीबीएसई,का निर्णयअंतिम और बाध्यकारी होगा.

12.2 बोलीदाता द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करने में की गई किसी भी विफलता और कार्य हेतु किसी भी प्रकार से याचना का प्रयास करने पर उसकी बोलीको निरस्त किया जा सकेगा।

12.3 सचिव, सीबीएसई को अधिकार होगा कि वह स्वविवेक से, किसीभी सफल एजेंसी(यों) को कोई भी एक या इसका भाग या पूर्ण अनुबंध अधिनिर्णित कर दें और यह सभी बोलीदाताओं पर बाध्यकारी होगा।

12.4 जिस एजेंसी को अनुबंध अधिनिर्णित किया गया है,उसके द्वारा नियमों तथा शर्तों केप्रावधानों का अनुपालन न किए जाने पर, सचिव, सीबीएसई के पास अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वह अनुबंध को अगले उच्चतम बोलीदाता को या किसी अन्य बाहरी एजेंसी को अधिनिर्णित कर दे और इस कारण से हाने वाली अंतर की राशि को उस चूककर्त्ता एजेंसी से वसूल कर ले, जिसे आरंभ में कार्य आवंटित किया गया था और यह सभी बोलीदाताओं पर बाध्यकारी होगा।

12.5 यदिकिसीसरकारी विभाग / संस्थान /स्थानीय निकाय /नगर पालिका के द्वारा ठेकेदार को किसी गत अवसर पर प्रतिबंधित सूची में डाला गया पाया जाता है तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षाबोर्डअनुबंध कोसमाप्त कर सकता है।

13. 'स्वीकृति पत्र' जारी करके अधिनिर्णय की अधिसूचना देना'

13.1 सफलमूल्यांकितबोलीदाताका निर्धारण करनेके पश्चात्,सीबीएसई द्वारादो प्रतियों में स्वीकृति पत्र (LoALOA) जारी किया जाएगा, जिसकी एक प्रति अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता के द्वारा विधिवत् पावती, स्वीकृति करके तथा हस्ताक्षर करके, पत्र प्राप्ति केतीन दिनके भीतर,सीबीएसईकोवापस भेजीजाएगी।

13.2 बोलीदाता को स्वीकृति पत्र जारी करना इसके एक अभिन्न अंगके रूप में माना जाएगाऔर यह इसे अनुबंधके लिए बाध्यकारी माना जाएगा।

13.3 स्वीकृति पत्र को जारी करने और नोटिस जारी करने के बीच लगने वाले समय के दौरान ठेकेदार द्वारा श्रम शक्तिकेजुटाने पर रोक नहीं होगी।

14. अग्रिम जमा राशि (बोली की प्रतिभूति राशि) को वापस करना

14.1 तकनीकी बोलीमूल्यांकनकेचरण मेंअसफलबोलीदाताओंकीअग्रिम जमा राशिको पात्र वित्तीय बोलियों के खुलने के सात (07) दिन के भीतर, खोली न गई उनकी वित्तीय बोलियों के साथवापस कर दिया जाएगा।

14.2 वित्तीयबोलीमूल्यांकनकेचरण मेंसफल बोलीदाता को अनुबंध अधिनिर्णित करने के पश्चात्,असफलबोलीदाताओंकी अग्रिम जमा राशि को सात (07) दिन के अंदर वापस कर दिया जाएगा।

14.3 निविदाको रद्द किए जानेके मामले में,सभी बोलीदाताओं की अग्रिम जमा राशि को,बोलियों के खुलने के बाद तथा वित्तीय बोलियों कोखोलने से पहले, उनकी खोली न गई वित्तीयबोलियोंके साथ, वापसकर दिया जाएगा।

भाग – 4

“अनुबंध की सामान्य शर्तें”

(GCC)

केंद्रीयमाध्यमिकशिक्षा बोर्ड

प्रीत विहार, दिल्ली -92

निविदा सं।001/2015/भर्ती कक्ष दिनांक: 31/03/2015

1. परिभाषाएं

1.1 सामान्य

अनुसूचियों सहित इस अनुबंध में निम्नलिखित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों से तात्पर्य, इस अनुसूची में दिए गए उनके अर्थ के अनुसार (बशर्ते कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो) होगा।

"करार"	"करार" और "अनुबंध" शब्द को एक दूसरेके स्थान पर प्रयोग किया गया है।
"पार्टी"	पार्टी से तात्पर्य सफल बोलीदाता, जिसे मानव शक्ति सेवाएं उपलब्ध कराने का कार्य दिया गया है और सीबीएसई "केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड" से है.
स्वीकृति पत्र	से तात्पर्य सीबीएसई के इस उद्देश्य से है कि वह अपने परिसर में मानव शक्ति उपलब्ध कराने के लिए सफल बोलीदाता को कार्य सौंपना चाहता है।
आगे बढ़ने की नोटिस	से तात्पर्य उस तिथि से है जिस तिथि से सीबीएसई के परिसर में मानव शक्ति सेवाएं प्रदान करना शुरू किया जाना है।
'गोपनीय सूचना'	से तात्पर्य उस सूचना से है जो कि सामान्यतया पता नही होती और जिसे अनुबंध अवधि के दौरान प्राप्त किया / पाया जाता है और जो कि प्रत्यक्ष रूप से सीबीएसई के व्यवसाय / सम्पत्तियों से संबंधित होती है और जिसमें वाणिज्यिक मूल्य वाली सूचना शामिल होती है।
समाप्ति की तिथि	से तात्पर्य किसी एक पार्टी द्वारा किसी अन्य पार्टी को दी गई समाप्ति की सूचना में दी गई तिथि से है जिस तिथि से अनुबंध को समाप्त माना जाएगा।
समाप्ति की सूचना	से तात्पर्य किसी एक पार्टी द्वारा किसी अन्य पार्टी को दी गई समाप्ति की सूचना से है।
ठेकेदार	से तात्पर्य सफल बोलीदाता से है जिसे सीबीएसई के परिसर में मानव शक्ति उपलब्ध कराने का कार्य सौपा गया है।

1.2 गोपनीयता

1.2.1 ठेकेदार,किसी भीगोपनीय जानकारी के रहस्य का उदघाटन करने और / या किसी भी गोपनीय सूचना को किसी अन्य पार्टी को देने, सीबीएसई के स्वामित्व वाली सूचना या सुरक्षाव्यवस्था (जिसमें समनुदेशित अनुदेश, अनुसूचियां तथा अन्य तदुपरांत वाले करार शामिल है, परंतु इन तक यह सीमित नहीं है) और / या सीबीएसई के बारे में सूचना केस्वामित्व की जानकारीका खुलासान करने हेतु सभी सावधानियां बरतेगा।उसका दायित्व किसी कार्य क्षेत्र तक सीमित नहीं है और सीबीएसईके बारे में जानकारी की गोपनीयता को भंग करने के मामले में ठेकेदार को उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

1.2.2 यदि ठेकेदार से प्रेसटेलीविजन /रेडियो /मीडिया /समाचार /याअन्य किसीनिकाय / व्यक्तियोंद्वारापूछताछकी जाती है ऐसी पूछताछ किए जाने संबंधी सूचना प्राप्त होते ही ठेकेदार, इसकी सूचना तत्काल सीबीएसई को देगा।

2. निष्पादन बैंक गारंटी (प्रतिभूति जमा)

2.1 सफल बोलीदाता को स्वीकृति पत्र की स्वीकृतिके पंद्रहदिनों के अंदर,किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंकद्वाराबैंक गारंटी के रूप में जारी निष्पादन गारंटी निष्पादित करनी होगी जो कि स्वीकार्य अनुबंध के मूल्य के 10% के बाराबर राशि की होगी तथा सचिव, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली के पार्टी में होगी तथा दिल्ली में देय होगी।

2.2 बैंक गारंटीको,अनुबंध के किसी भीनियम या शर्त के उल्लंघनयालापरवाहीयाअनुपालन न किए जाने की स्थिति मेंयाअसंतोषजनककार्य करने या कामके आदेश को स्वीकार न किए जाने पर सचिव,केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षाबोर्डके आदेश सेजब्तकिया जा सकता है।अनुबंध की समाप्ति पर,फर्म केबिलोंमेंसे किए गएकिसी भी गलतयाअतिरिक्तभुगतान को कवरकरने के लिए पर्याप्त मानी गई राशि के बराबर राशि को उक्त बैंक गारंटीसेकेन्द्रीय माध्यमिक शिक्षाबोर्ड द्वारा रोकने पर,तब तक के लिए विचार किया जा सकता है जब तक कि फर्म के बिलों के खाते पर अंतिम लेखा - परीक्षा रिपोर्टप्राप्त न हो जाए औरइसकीजांच न कर ली जाएं.

क) यदि ठेकेदार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षाबोर्ड केसक्षम प्राधिकारीद्वाराप्रतिभूतिराशि को जमाकरने के लिएबुलाया जाता है और ठेकेदारविनिर्दिष्टअवधि के अंदर प्रतिभूति राशि उपलब्ध कराने में विफल रहताहैतो ऐसी विफलता को अनुबंध का उल्लंघनमाना जाएगा औरकेंद्रीय माध्यमिक शिक्षाबोर्ड को अधिकार होगा कि वह ठेकेदार के जोखिम,उसकीलागत और व्यय पर अन्यव्यवस्था करले।

ख) उचित कार्य निष्पादन औरअनुबंध के सभी दृष्टियों से पूरा होने पर,विनिर्देशनों, नमूनों तथा क्रेता से संबंधित तथा ठेकेदार को जारी की गई किसी भी प्रकार की सम्पत्ति को वापस करने और निर्धारित फार्म पर सम्पूर्ण मांग पत्र प्रस्तुत करने पर, ठेकेदार को प्रतिभूति जमा राशि, बिना ब्याज के, वापस कर दी जाएगी

3. कार्यवाही करने का नोटिस

स्वीकृति पत्र को स्वीकार करने और सफल बोलीदाता से कार्य निष्पादन बैंक गारांटी प्राप्त कर लेने पर, सीबीएसई द्वारा 'कार्यवाही करने का नोटिस' ठेकेदार को जारी किया जाएगा, जिसके द्वारा उसे विर्निदिष्ट स्थल पर कार्यालय में मानव शक्ति उपलब्ध कराने के लिए अधिकृत किया जाएगा।

4. अनुबंध केकरार पर हस्ताक्षर करना

4.1 सफल बोलीदाता द्वारा सेवाएं प्रदान करना आरंभ करने से पहले करार के अनुच्छेदों के अनुसार अनुबंध का करार किया जाएगाऔर उसके द्वारा इसकोनिष्पादित औरहस्ताक्षरकिए जाएंगे।

4.2 सीबीएसईद्वारा इस दस्तावेज में शामिल प्रारूप के अनुसार,करार के अनुच्छेदों का प्रारूप तैयार किया जाएगा जिस में दोनों पक्षों के बीचसमझौते कीसभी शर्तोंको शामिल किया जाएगा और इसे दो प्रतियों में, सफल बोलीदाता को,उसकीसहमतिके लिए भेजा जाएगा।

4.3 सफल बोलीदाताद्वाराकरार के अनुच्छेदों के प्रारूप की विधिवत् सहमित प्राप्त प्रतियों को,सीबीएसईसे करार के अनुच्छेदों के प्रारूप की प्राप्ति केदो (02) दिनों के अंदर,सही मूल्य के स्टाम्प पेपर परविधिवत मुद्रित करके, जहां पर अनुबंध को निष्पादित कराया जाना है, उस स्टाम्प पेपरों के रजिस्ट्रार के द्वारा विधिवत् निर्णय किया जाना है, को भेज दिया जाएंगा.

4.4 सीबीएसई के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुबंध के करार पर हस्ताक्षर किए जाएगें और इस की एक प्रति सफल बोलीदाता को वापस भेज दी जाएगी।

5. सीबीएसई द्वारा अपेक्षित सेवाएं

5.1 ठेकेदारद्वारा इस के साथ दिए गए विवरणके अनुसार,सीबीएसईके परिसरमें या सीबीएसई द्वारा अपेक्षित किसी अन्य जगह पर,मानवशक्तिसेवाएं प्रदानकी जाएगी, जिसे अनुबंध की विशेष शर्तों, समनुदेशननिर्देशोंऔरअपेक्षाओं की अनुसूचीके साथ पढ़ाजाएगा।

5.2 बोलीप्रक्रिया के दौरान सीबीएसईऔरठेकेदार के बीचहुईसहमति के आधार पर,सीबीएसईद्वारा प्रभारों का भुगतानकिया जाएगा।बोली प्रक्रिया का समापन होने पर,राशिको अंतिम रूप देनेके बाद,प्रभारों की अनुसूची करार के अनुच्छेदों के साथ संलग्न कर दी जाएगी।

5.3 ठेकेदारद्वारा सीबीएसई के परिसर में मानव शक्ति को अपनीपूर्णसंतुष्टि केअनुसार प्रदान किया जाएगा और यहठेकेदार का एकमात्र दायित्वहोगा कि कार्य का निष्पादन पूर्ण रूप से ठेकेदार के दायित्वों के अनुरूप ही पूरा किया जाए।

6. सेवाएं प्रदान करना आरंभ करना

अनुबंध कानूनी रूप से केवल तभी बाध्यकारी और प्रभावी होगी जब :

6.1 निष्पादन बैंक गारंटी वाक्यांश 2 (भाग 4) के अनुसार प्रस्तुत कर दी गई हो।

6.2 ठेकेदार द्वारा सीबीएसई के परिसर में मानव शक्ति सेवाएं प्रदान करने के लिए कार्यवाही करने के नोटिस की प्राप्ति से 30 दिन के अंदर, जैसाकि वाक्यांश 3 (भाग 4) में दिया हुआ है, आरंभ की जाएगी।

7. ठेकेदार के दायित्व

7.1 ठेकेदारद्वारासीबीएसई के परिसर में मानव शक्ति सेवाएं कार्य अनुसूची / अपेक्षाएं (भाग 4) के अनुसार प्रदान की जाएंगी जिन्हें सीबीएसईद्वाराअनुबंध की अवधि के दौरान,समयसमय परसंशोधितकिया जा सकताहैऔर इसे हमेशाकरारका अभिन्न अंगमानाजाएगा।सीबीएसई द्वारासमय समय पर,प्रदान किए गए समनुदेशनों का ठेकेदारद्वारापालन किया जाएगा।

7.2 ठेकेदारद्वारायहां पर मानव शक्ति प्रदान करने के लिए, अपने समरूप तथा प्रशिक्षित कार्मिकों के द्वारा सेवाएं प्रदान की जाएंगी औरये लगाए गए कार्मिक,ठेकेदारके कर्मचारी होगे और सीबीएसईका इनके प्रति किसी भी प्रकार का कोई भी उत्तरदायित्वनहीं होगाऔर ठेकेदार द्वारा इनके सभी वैधानिक दायित्वों (जैसे कि कर्मचारी राज्य बीमा, भविष्य निधि आदि) का भुगतानकिया जाएगा।

7.3 ठेकेदार द्वारा नियोजित किए गए कार्मिकों के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा तथा भविष्य निधि के खाते में जमा की गई राशि के विवरण समय समय पर संबंधित प्राधिकारियों कोप्रस्तुत करने होंगे।

7.4 ठेकेदारकोअपने कर्मियोंकोसमय समय पर दिए गए सांविधिक लाभों जैसे कि बोनस, छुट्टी, राहत आदि के विवरण सीबीएसई को प्रस्तुत करने होगें।सीबीएसईमेंतैनातकर्मियों से,प्रत्यक्ष यापरोक्ष रूप से,कोई लागतवसूल नहीं की जाएगी।

7.5 सीबीएसईको अधिकार होगा कि वह किसी भी अवांछितया अन्यथा पाए गए किसी भी कार्मिक को हटा दें और ठीक इसी प्रकार से ठेकेदार के पास भी अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वह आपात स्थिति में,सीबीएसई कोपूर्व सूचनादे कर,किसी भीकार्मिकको हटा दे।

7.6 ठेकेदार कर्मियों को कार्य करने के दौरान होने वाली व्यक्तिगतदुर्घटनाऔरमृत्युके प्रति,अपनेकर्मियोंको रक्षितकरेगाऔर इस बारे में सीबीएसईकाकोई दायित्वऔर बंधन नहीं होगा।

7.7 ठेकेदार द्वारा अपेक्षाओं की अनुसूची के अनुसार मानव शक्ति द्वारा सही कार्य निष्पादन तर्कसंगत ढ़ग से करना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्र्याप्त पर्यवेक्षण किया जाएगा।

7.8 ठेकेदार द्वारा अपने सभी कर्मचारियों को पहचान पत्र / पहचान दस्तावेज जारी किए जाएंगे और इन्हें ठेकेदार द्वारा अनुदेश भी दिए जाएंगें कि वह इन्हें डयूटी के दौरान लगा कर रखे।

7.9 ठेकेदारकेकर्मी,सीबीएसईके कर्मचारियों कोनहीं होगेंऔर वे किसी भीप्रकार केवेतन याभत्ते, मुआवजे,क्षतिपूर्ति याइस अनुबंध के तहत उनके नियोजन/डयूटीसे उत्पन्नहोने वाला किसी भी प्रकार का अन्य दावा नहीं करेगे।ठेकेदारइसकरारके तहतउनकीतैनातीकरनेसे पहले, उन्हें इस की जानकारी,लिखित रूप मेंदे देंगे.

7.10 ठेकेदारअपने कर्मचारियों कोसभी सांविधिक लाभ याअन्यथालाभ अपनी लागत पर प्रदान करेगाऔर सीबीएसईकाइस कारण से किसी भीप्रकार का कोई दायित्वनहीं होगा।ठेकेदारश्रमकानूनों,कामगारक्षतिपूर्ति अधिनियम,कर्मचारी भविष्य निधिकानून,ईएसआईसीकानून,आयकर कानूनऔर न्यूनतम मजदूरीकानून,अनुबंध श्रम,विनियम उत्सादनअधिनियमयाप्रभावीकिसी भी अन्यकानूनसे बाध्य होगा तथा इनका अनुपालन करेगा

7.11 ठेकेदार द्वारा अपने सभी कार्मिको को कर्मचारी भविष्य निधि, श्रम, कर्मचारी राज्य गीमा निगम आदि से संबंधित कानूनों के तहत कवर किया जाएगा।इसके प्रमाण की प्रति ठेकेदार द्वारा तिमाही आधार पर जमा की जाएगी।

7.12 ठेकेदार द्वारा अपने कार्मिकों को अदा की गई मासिक मजदूरियों वाली मजदूरी शीट की एक प्रति उपलब्ध कराई जाएगी।

7.13 दोनोपार्टियों के बीच हुई सहमति के आधार पर, प्रचलित अपेक्षाओं के अनुसार, निष्पादन हेतु सही सेवाएं प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए, पर्याप्त पर्यवेक्षण किया जाएगा।

7.14 सभी आवश्यक रिपोर्टें तथा अन्य सूचनाएं, मांगे जाने पर तत्काल, उपलब्ध कराई जाएंगी और सीबीएसई के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जाएंगी।

7.15 ठेकेदार द्वारा 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को नियोजित नहीं किया जाएगा।इस कार्य हेतु तैनात की जाने वाली मानव शक्ति को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

7.16 ठेकेदार के कार्मिक

7.16.1 ठेकेदार द्वारा सदैव यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सीबीएसई परिसर में पर्यवेक्षण के लिए उसके पास पर्याप्त, उपयुक्त तथा योग्य कार्मिक उपलब्ध है और अनुबंध के तहत ठेकेदार पर डाली गई जिम्मेवारियों को पूरा करने तथा इसके तहत कार्य का निष्पादन करने के लिए पर्याप्त संख्या में कार्मिक उपलब्ध है.

8. ठेकेदार का दायित्व

8.1 ठेकेदारपूरी तरह से क्षतिपूर्ति करता है और अनुबंध के भंग होने, गलत कार्य करने या ठेकेदार की लापरवाही के कारण या सीबीएसई की मानव शक्ति सेवाओं के प्रावधानों में कार्यरत किसी भी इसके कर्मचारी के द्वारा किए गए कार्य के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्व,दावों, नुकसान या इसके या इनके कारण होने वाली किसी भी प्रकार की क्षतिके प्रति,सीबीएसई तथा इसके कर्मचारियों को नुकसान रहित रखने का वचन देता है।

8.2 ठेकेदार**निम्न के प्रति**,किसी भी तरह से, चाहे जो हो,जिम्मेदार नहीं होगाऔरसीबीएसई,किसी भी प्रकार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होने वाली हानि, चोट, क्षति, लागत या व्यय के प्रति,इसके द्वारा,स्पष्ट रूप सेअपनेकिसी भी अधिकार का परित्याग करती है:

8.2.1 जो कार्य किसी भी प्रकार के आंतकवाद से संबंधित हो या इस के परिणाम स्वरूप हो या किसी जैविक या रासायनिक सम्पर्क प्रभाव के कारण हो या किसी न्यूक्लीयर जोखिम के कारण हो;

8.2.2 निम्नके परिणाम स्वरूप या इससे संबंधित होने वाली किसी भी प्रकार की हानि, नुकसान, विनाश,विरूपण, विलोपन, भ्रष्टाचार या इलेक्ट्रॉनिकडेटा की किसी भीप्रकार की हानि, चाहे किसी भी प्रकार की हो (जिसमें कम्पयूटर वायरस शामिल है परंतु इस तक सीमित नहीं है) सहित, के कारण, बशर्ते कि ऐसी हानि,नुकसान, विनाश, विरूपण, विलोपन, भ्रष्टाचार या इलेक्ट्रॉनिकडेटा में परिवर्तन ठेकेदार या सीबीएसई की सेवा में मानव शक्ति के प्रावधानों में लगे ठेकेदार के किसी भी कर्मचारी की अज्ञानता या चूक के कारण न हुआ हो.

8.3 ठेकेदार द्वारा इस अनुबंधको उप अनुबंध या उप किराए पर नही दिया जाएगा,इसे या इसके किसी भाग का हस्तांतरणयाअनुबंध का आबंटन नहीं किया जाएगा।ठेकेदार द्वारा इस शर्त का उल्लंघन किए जाने पर,सीबीएसईको अधिकार होगा कि वह अनुबंध को ठेकेदार के जोखिम तथा लागत पर किसी अन्य को अधिनिर्णित कर दें और इस प्रकार से अनुबंध के किसी अन्य व्यक्ति को देने के कारण सीबीएसई को होने वाली किसी भी प्रकार की हानि या नुकसान के लिए ठेकेदारउत्तरदायी होगा।

9. सीबीएसई के दायित्व

9.1 जैसा कि अन्यथादिया गया है, के अतिरिक्त सीबीएसई द्वाराउस अवस्था में, जहां मानव शक्ति सेवाएं प्रदान की गई है, समस्त अपेक्षित उपकरण और सुविधाएं,अपनेस्वयं के व्ययपर, समय पर उपलब्ध कराएगी ताकि ठेकेदार के कर्मचारी सेवाएं देना चालू रख सके।

9.2 सेवाओं के निष्पादन के संबंध मेंठेकेदार द्वारालिखित में दिए जाने पर, यदि सीबीएसईद्वारा आवश्यक समझा जाता है तो सीबीएसई द्वारा ठेकेदार के द्वारा की गई अनुशंसाओं (यदि हो तो) का अनुपालन किया जाएगा तथा इन्हें पूरा किया जाएगा।सीबीएसई, ठेकेदार द्वारा की गई किसी भी प्रकार की बेईमानी,गलत या लापरवाहीपूर्ण कार्य या सेवाओं के संबंध में, ठेकेदार के कर्मचारियों या एजेंटों की चूकों की सूचना,सीबीएसईकी जानकारी में आने के बाद यथाशीघ्र प्रदान करेंगी।

9.3 मानव शक्ति सेवाएं प्रदान करने के लिए ठेकेदार को सक्षम करने के संबंध में, सीबीएसई यह सुनिश्चित करेगी कि इस प्रकार की सहायता के लिए, उसका स्टॉफ उपलब्ध हो.

9.4 अनुबंध के समाप्त होने पर, ठेकेदार के किसीभी कार्मिक को पैनलपर रखने के लिए सीबीएसई, किसी भी प्रकार के दायित्व के अधीननहीं होगी।सीबीएसई,ठेकेदारकेश्रमिकोंमें से, किसीके साथ,किसी भीप्रकार के कर्मचारीनियोक्ता के संबंधोंको मान्यता प्रदान नहीं करती।

10. अनुबंध की वैधता

अनुबंध, यदि अधिनिर्णित की जाती है तो दिनांक 01.04.2015 से आरंभ होगी तथा आरंभ में एक वर्ष के लिए होगी बशर्ते कि कार्य निष्पादन लगातार संतोषजनक हो।अनुबंध के उल्लंघन की अवस्था में यान्यूनतम आवश्यकताओं,सांविधिक/आवश्यकताओं को पूरान करने की स्थिति में,सीबीएसई को अधिकार होगा कि वह ठेकेदार द्वारा जमा की गईनिष्पादनप्रतिभूति जमा राशि को जब्त करने के साथ साथआगे के लिए अनुबंध को निरस्त कर दें तथाउसे प्रतिबंधित सूची आदिमें डालने के लिए प्रशासनिक कार्रवाई प्रारंभ कर दे, जो कि सीबीएसई कार्यालय के सक्षम अधिकारी के एकमात्र विवेक पर निर्भर करता है।एक वर्ष कीप्रारंभिक अवधिको आगे भी बढाया जा सकता है बशर्ते कि उसके द्वारा दी गई सेवाएं संतोषजनक हो तथा यह सीबीएसईके कार्यालय केविवेकाधिकार परभी निर्भर करता है।

11. भुगतान

11.1 सफल बोलीदाताके रूप में ठेकेदार काचयनकरने के पश्चात्,करार के अनुच्छेदों के साथ एक मूल्यअनुसूचीलगाई जाएगी, जिसके आधार पर सीबीएसई को मानव शक्ति सेवाएं प्रदान करने के लिए ठेकेदार को सभी भुगतानकिए जाएंगें।

11.2 मूल्य अनुसूची के मूल्यों में, किसी भी प्रकार का सेवा कर, शिक्षा उपकर, सेकेंडरी तथा उच्चतर शिक्षा कर या सरकार द्वारा समय समय पर लगाए जाने वाले अन्य लागू कर शामिल नहीं है तथा इन्हें लागू दरों के अतिरिक्त वसूल किया जाएगा।

11.3 ठेकेदारद्वारा प्रत्येक मास में बीजक उपलब्ध किया जाएगा औरइसे प्रत्येक अगले मास की पांचवी तारीख तक सीबीएसई कोप्रस्तुत किया जाएगा।ठेकेदार से बीजक के प्राप्त होने की तिथि से 15 से20दिनों के अंदर,सीबीएसई द्वाराभुगतान करने के लिएसभीप्रयासकिए जाएंगें।

11.4 अनुबंध की आरंभिक लागत एक वर्ष कीअवधि के लिएमान्य होगी।इस अवधि के दौरान,न्यूनतममजदूरीसंशोधनके अलावा अन्यकोईभीमूल्य वृद्धि,सीबीएसईद्वारा स्वीकार नहीं की जाएगी।

11.5 अनुबंध की एकसालकीप्रारंभिकअवधि की समाप्तिके पश्चात् और यदिसीबीएसई द्वारानए सिरे सेअनुबंध का नवीकरण किया जाता है तो जब कभी सरकारद्वारा न्यूनतम मजदूरी में वृद्धिकी जाती है तो इस कारण से ठेकेदार,अनुबंध की लागत में होने वाली वृद्धिका दावाकर सकता है।

11.6 अनुबंध के भुगतानोंके अतिरिक्त,सीबीएसईमूल्यअनुसूची में विनिर्दिष्टन की गई किसी अन्य अतिरिक्त सेवा के लिए,जो सीबीएसईकोअपेक्षित हो,भीभुगतान करेगा।

11.7 सभी भुगतानकिसीआदाता खाते मेंचेकके माध्यम सेभारतीयमुद्रा में कियेजाएगें।

11.8 सीबीएसईको अधिकार होगा कि वह ठेकेदार को,किए गएकिसी भी भुगतानसे,लागू कानून के अनुसार,आय करयारोकने के लिए करया अन्यकटौतियां (यथास्थिति) कर ले तथा इस प्रकार से की गई कटौती की राशि को ठेकेदार को भुगतान किया गया माना जाएगा।सीबीएसईद्वारा इस प्रकार से की गई कटौतीके प्रमाण स्वरूप ठेकेदार को एक प्रमाण पत्रप्रदान कियाजाएगा।

11.9 अधिनिर्णित कार्य के आदेश के आधार पर न तो कोई अग्रिमभुगतानकिया जाएगाऔर न हीकिसी भी बैंकया वित्तीयसंस्थान सेकिसी भी प्रकार के ऋणकी सिफारिश की जाएगी।

12. अप्रत्याशित घटना घटित होने पर पार्टियों के दायित्व

12.1. "अप्रत्याशित घटन "से तात्पर्य किसी ऐसी घटना से है जो कि सीबीएसई या ठेकेदार(यथा स्थिति) के नियंत्रणसे परे होऔरजोप्रभावितपार्टीद्वाराउचितदेखभालकरनेके बावजूदभी अपरिहार्य होऔर जिसेउचितकौशलकेप्रयोग और देखभाल द्वारा एवं उद्योग की अच्छी प्रणालियों से भी रोकानजा सकाहो।इस में सीमा रहित, निम्नलिखित बातें शामिल होगी:

(i) युद्ध,शत्रुता, आक्रमण,विदेशीदूश्मनों के कार्यऔरगृह युद्ध,

(ii) विद्रोह, क्रांति,राजद्रोह,गदर, षड्यंत्र,दंगा,नागरिक हंगामाऔरआतंकवादी

गतिविधियां;

(iii) हड़ताल,तोड़फोड़,गैर कानूनीतालाबंदी,महामारियां,संगरोधऔरप्लेग;

(iv) भूकंप, आग, बाढ़ याचक्रवातया अन्य प्राकृतिकआपदाएं।

जितना जल्दी व्यवहारिक रूप से संभव हो, परंतु अप्रत्याशित घटनामें से किसी भी घटना के आरंभ होने की तिथि के बाद अगले (48) अड़तालीस घंटे में,कोई भी प्रभावितपार्टी,अन्यपार्टी को अप्रत्याशित घटनाकी सूचना, निम्न के संबंध में, विस्तार से विवरण सहित उपलब्ध कराएगी:

12.2 अप्रत्याशित घटना के आरंभ होने की तिथि ;

12.3 अप्रत्याशित घटना की प्रकृति तथा इसकी मात्रा ;

12.4 अप्रत्याशित घटना की अनुमानित अवधि,

12.5 ऐसीदेरीयाविफलताकेकारणों का उचित प्रमाण और कार्य निष्पादन के समयपर इसका प्रत्याशितप्रभावएवंइसका स्वरूप तथा इसकी मात्रा, जिस कारण से अप्रत्याशित घटना के कारण अनुबंध के तहत इसके दायित्वों का निष्पादन कहां तक प्रभावितहुआहै।

12.6 प्रभावित पार्टीद्वारा किए गए या करने हेतु सुझाए गए उपाय ताकि अप्रत्याशित घटनाके प्रभाव को समाप्त / अप्रत्याशित घटना केप्रभाव को कम किया जा सके, ताकि इस के कारण प्रभावित हुए ऐसे अपने दायित्वों का निष्पादन दोबारा आरंभ किया जा सके।

12.7 अप्रत्याशित घटनाऔर या /अनुबंध के तहतपक्षों के अधिकार औरदायित्वोंके विषय में.

13. समाप्ति

यहअनुबंध,किसी भी पार्टी द्वारा लिखित नोटिस दे कर अवलिम्ब समाप्त की जा सकती है यदि :

13.1 अन्य पार्टीइस करारके तहत अपने दायित्वोंका पूरी तरह से उल्लंघनकर रही हो औरया /,इस तरह केउल्लंघनोंके मामले में, जिन्हें सुधारा जा सकता हो, ऐसे उल्लंघनका नोटिसप्राप्त होने केतीस दिनों के भीतर, इन उल्लंघनके लिए उपायकरने में विफल रहतीहै, या

13.2 सीबीएसई द्वारा ठेकेदार को लिखित नोटिस भेज कर अविलम्ब समाप्त किया जा सकता है, यदि:

13.2.1ठेकेदार द्वाराअनुबंध के नियम तथा शर्तोंमें से किसीके उल्लंघनके मामले मेंसीबीएसईके सक्षम प्राधिकारी को, इसका कोई कारण बताएबिनाअनुबंध को रद्दकरने का अधिकार होगाऔर सीबीएसई द्वाराऐसी अवस्था में कुछ भी भुगतान नहीं किया जाएगा और निष्पादन बैंक

गारंटीके रूप मेंजमाप्रतिभूति जमा राशि को जब्त कर लियाजाएगाऔरनकदीकरणकरा लिया जाएगा।

13.2.2 ठेकेदार द्वारा सीबीएसई की अपेक्षाओं के अनुसार या / और अपेक्षाओं की अनुसूची के अनुसार संतोषजनक मानव शक्ति सेवाएं प्रदान नहीं किए जाने पर।

13.2.3 ठेकेदार के दिवालिया होने और शोघक्षम होने पर।

14. परित्याग

सीबीएसईके कर्मचारियोंके रिश्तेदारों/निकटरिश्तेदारों का इसबोलीमें भाग लेना निषेध हैं।इस उद्देश्य के लिएनिकटरिश्तेदारों की परिभाषा निम्नानुसार हैं:

(क) अविभक्त हिन्दु परिवार के सदस्य.

(ख) इनके पति या पत्नी.

(ग) इन में से किसी एक का दूसरे के साथ पिता, माता,बेटा,बेटे,बेटे कीपत्नी (पुत्र वधू),बेटीऔरबेटीके पति,दामाद,भाईऔर भाई की पत्नी, बहन (बहनों) और बहन के पति (जीजा) के रूप में संबंध हो।

15. दिवालियापन

15.1 सचिव,केंद्रीय माध्यमिक शिक्षाबोर्ड, निम्न में से किसी भी घटना के होने पर ठेकेदार को मुआवजा दिए बिना, किसी भी समय लिखित रूप से नोटिस देकर अनुबंध को सरसरी तौर पर समाप्त कर सकता:

यदि ठेकेदारकोईएक व्यक्ति याफर्महैं, तोठेकेदार कीफर्मकेकिसी भीसांझेदार को,यदिकिसी भी समयदिवालियाघोषितकिया जाता है याउसके खिलाफ,उसकी संपत्तिके प्रशासन के लिएकोई आदेशया आदेशप्राप्त होते है याशोधक्षम होने पर,इसके तहतपरिसमापनयापुनर्गठनके लिए कोईकार्यवाहीचल रही हो जोकि उस समय प्रभावी न हो याउसके उद्यमों पर किसी भीप्रकार कीसुविधाया अभ्यर्पणहो याउसनेअपनेलेनदारों के साथकिसी भीप्रकार की व्यवस्था या संरचना की हो याभागीदारी अधिनियम के तहतफर्म को भंग करने के उद्देश्य से किया जानेवाले भुगतानोंको निलंबित किया गया हो, या

i) यदि कोई कंपनी होनेके नाते ठेकेदार द्वारा एकसंकल्पपारित किया जाता है या अदालत द्वारा कंपनी केमामलों केपरिसमापन का आदेश जारी किया जाता है या ऋण पत्र धारकोंकी ओर सेप्रबंधन हेतु रिसीवरनियुक्त किया जाताहैया ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई हो कि जिन के कारण अदालत याऋण पत्र धारकोंको एक रिसीवरया प्रबंधककोनियुक्त करना पड़ता है।

ii) यदिठेकेदार द्वारा इस अनुबंध का कोई ऐसा उल्लंघन किया जाता है जिसे विशेष रूप से सिद्ध नहीं किया जा सकता, बशर्ते कि ऐसा सदैव किसी कार्रवाई यासुधार के अधिकार के प्रति दुराग्रहपूर्ण न हो जो कि संचित हो गया हो या क्रेता के पश्चात् सचित हुआ हो और बशर्ते कि ठेकेदार की, किसी अतिरिक्त व्यय के लिए क्रेता के प्रति देनदारी बनती हो, उसे इस के लिए रखाजाता है, लेकिनपुनर्खरीदपर किसी भीलाभके हकदारनहीं किया गया हो।

16. बोलीतथा भुगतान की मुद्रा.

16.1 बोलीदाता द्वारा अपनी बोली का मूल्य / प्रस्ताव भारतीय रूपयों में किया जाएगा और इस अनुबंध के तहत भुगतान भारतीय रूपये में किया जाएगा।

17. प्रशासित होने वाला नियम एवं विवाद का निपटारा

17.1 इस अनुबंध से/के कारण उत्पन्न होने वाला या इससे संबंधित कोई भी दावा,विवाद औरया असहमति,जिसमें इस अनुबंध का अस्तित्व,वैधतायासमाप्तिशामिल है,तथा जिसमें इसकी शर्तों की व्याख्या भी शामिल है, का समाधान,संबंधित पक्षोंकेअधिकृतप्रतिनिधियोंकीसंयुक्तचर्चाके माध्यम से किया जाएगा। हालांकि, उपरोक्त विचार विमर्श के द्वारा यदि विवादों का समाधान 30दिन में नहीं हो पाता है तो फिरमामले को एकमात्र मध्यस्थके पास मध्यस्थता के लिएभेजा जाएगाजिसे सीबीएसई द्वारा, मध्यस्था एवं समाधान अधिनियम 1996तथा इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, जिसमें भविष्य में किए गए संशोधन, आशोधन तथा निर्णय भी शामिल है, नियुक्त किया जाएगा। मध्यस्था के लिए स्थाननई दिल्लीमेंहोगाऔरमध्यस्थका निर्णय अंतिमऔर पार्टियोंपरबाध्यकारी होगा।

17.2 **न्यायालय का अधिकार क्षेत्र :** यहअनुबंध भारत के गणराज्य केकानूनों द्वारा शासितहै औरदिल्लीमें न्यायालयों केअनन्य क्षेत्राधिकारके अध्याधीन होगा।

भाग – 5

“अनुबंध की विशेष शर्तें”

(SCC)

1. अनुबंध की विशेष शर्तें भाग 3 में दिए गए “बोलीदाताओं के लिए अनुदेशों” तथा भाग 4 में दी गई अनुबंध की सामान्य शर्तों (GCCGCC) की पूरक होगी।

2. परिचयः

सफलबोलीदातापूरी तरह सेक्षतिपूर्ति करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेवार है और ठेकेदार द्वाराकी गई चूकों तथा आचरण के कारणसीबीएसई के विरूद्ध आरंभ की गई मुकदमेबाजी/दावों/ आवेदनसे उत्पन्नहोने वाली सभी प्रकार की हानियों / दण्डों / पंचांटों / डिक्रियों के विरूद्ध, जो कि निम्नलिखितअधिनियमोंसहित समय समय पर संशोधित विभिन्नकेन्द्रीयश्रम और रोजगारअधिनियमोंके प्रावधानों के तहत दण्डनीय है, के विरूद्ध सीबीएसई को क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी है।सीबीएसईके पास, उपरोक्त के कारण होने वाले हर्जाने / हुई हानि को स्वविवेक के आधार पर निर्धारित करने तथा कार्य निष्पादन गारंटी के रूप में जमा प्रतिभूति जमा राशि से या तो बोलीदाता की व्यक्तिगत सम्पति से या उसकी फर्म/ कंपनी के स्वामित्व वाली सम्पति से, आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त कानूनी कार्रवाई प्रारंभ करने तथा वसूली करने का पूरा अधिकार होगा.

3. श्रम कानूनों का अनुपालन

3.1 श्रमिकों को कार्य करने के लिए तैयार करने और इनके नियोजन करने तथा इन्हें विभिन्न श्रमकानूनों और विनियमोंके विद्यमानप्रावधानों केतहत मजदूरी का भुगतान करने का पूरा दायित्व ठेकेदार का होगा और ऐसे नियमों या विनियमनों के किसी भी उल्लंघनको इस अनुबंध के उल्लंघनके रूप में समझा जाएगा।ठेकेदार द्वारा इन प्रावधानों / नियमों के अनुपालन किए जाने के बारे में प्रमाण हेतु, सीबीएसई ठेकेदार से इन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए कह सकती है।

(क) ठेकेदार द्वारा सभीप्रकार की मजदूरीके साथ छुट्टी, ईएसआई, पीएफ, ग्रेच्युटी,बोनसआदिके रूप में संबद्ध लाभ दिए जाएंगे और तैनातकिए गए कर्मियों के लिएसीबीएसई किसी भी प्रकार के दायित्वया किसीभीअतिरिक्तव्यय को, चाहेकिसी भी प्रकार का हो, वहननहीं करेगी।

(ख) कर्मचारियों को किया जाने वाला भुगतान बैंक/चेक के माध्यम से किया जाना अनिवार्य है।

3.2 ठेकेदार द्वारा सभी श्रमकानूनों,कर्मचारी भविष्य निधिसंगठन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम,कामगारक्षतिपूर्ति अधिनियमसे संबंधितकानूनोंका पालनकिया जाएगा।उनकेद्वारातैनात कर्मचारियोंके संबंध मेंकर्मचारी भविष्य निधि,कर्मचारी राज्य बीमा निगम के विवरण को,बिलके साथ, प्रत्येक महीनेठेकेदार द्वारा सीबीएसई कोप्रस्तुत किया जाएगा।ठेकेदारमजदूरीऔरभत्तों,न्यूनतममजदूरी के भुगतान,ओवरटाइमकेभुगतान,छुट्टी

देने,कामगारों को क्षतिपूर्तिकाभुगतान करने,काम के घंटे, सुरक्षा,मातृत्वलाभों,छुट्टियों, स्थाई आदेशों को तैयार करने, कर्मचारियों के विरूद्धअनुशासनात्मककार्रवाई,भविष्य निधिअंशदानके भुगतान,ग्रेच्युटीके भुगतानऔर बोनसकेभुगतानसेसंबंधित मामलोंसहित, लेकिन इन तक सीमित नहीं, का अनुपालन करेगा।

3.3 अनुबंध की अवधि के दौरान,श्रमयाअन्य संबंधितकानूनों का अनुपालन न करने के कारण,उत्पन्न होने वाले किसी भी कानूनीविवाद/मामले /दावों के लिएठेकेदार उत्तरदायी होगा।

3.4 ठेकेदारउनसभी कानूनों,नियमों /विनियमनों और सरकारी अनुदेशों केअनुपालन के लिए उत्तरदायी होगा जो कि उस समय लागू हो / लागू किये जाएगें और जो कि उस के द्वारा लगाए गए कर्मचारियों / कामगारों के हितों की रक्षाकरने केउद्देश्य से बनाए गए हो तथा उनसभी सांविधिकदेय राशियों / देयताओं का भुगतान किया जाना सुनिश्चित करेगा जो गत वर्षों में दौरान उत्पन्न हुए हो 'या'अनुबंध के निष्पादन के दौरान उत्पन्न हुए हो

3.5 ठेकेदार, समय समय पर बताए गए अनुसार आवधिक विवरणों को भी प्रस्तुत करेगा।

4. सरकारी रिकार्ड :

4.1 सीबीएसईके कार्यालय मेंतैनातसभी कर्मचारियोंके संबंध मेंमजदूरी / वेतन के संवितरण का पूरा रिकार्ड ठेकेदार द्वारा रखा जाएगा जिसमें विशेष रूप से ईएसआई, पीएफ आदि जैसी सभी कटौतियों का विवरणविशेष रूप से दिया गया हो।

4.2 ठेकेदार द्वारा सीबीएसईके कार्यालय मेंतैनात किया गयेसभी कर्मचारियोंके संबंध मेंएकव्यक्तिगत फाइलरखी जाएंगी।व्यक्तिगत फाइल में बिना किसी अपवाद के व्यक्तिगत विवरण जैसे कि नाम, पता, जन्म तिथि, लिंग,आवासीय पता,अस्थायी /स्थायी और स्टॉफ के द्वारा रिकार्ड की गई समस्याओं के साथ साथ इन पर की गई कार्रवाई को भी रिकार्ड किया जाएगा।

4.3 ठेकेदार द्वारा प्रत्येक महीनेकी समाप्तिके सातदिनों के अंदर एक वचनपत्र प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें दिया जाएगा कि वे कर्मचारियों के बारे में, उनके द्वारा दिए गए अंशदान की वसूलियों को दर्शाने वाले विवरण, इस आशय के प्रमाण पत्र के साथ कि इन्हें ईएसआईसी/ईपीएफओआयुक्तोंके पास जमा कर दिया गया है, सीबीएसई को प्रस्तुत कर देंगे।

4.4 प्रत्येक मासिकबिलके साथनिम्नानुसार सलंग्न करना होगा:

(क) कर्मचारियों की तैनाती की तारीखके साथ इनकी सूची,
(ख)मजदूरीकी राशि,ठेकेदार के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी कर्मचारियों को न्यूनतममजदूरी, सभी लाभों सहित जैसे कि ईएसआईसी/ईपीएफ/बोनसआदि का भुगतान किया जा रहा है।
(ग) ईपीएफओ/ईएसआईसीजैसे अंशदान के भुगतान के दस्तावेजों कीप्रमाणीकृत प्रतियां।
(घ)ईपीएफ/ईएसआईसीकी राशि के संबंध में वाक्यांश 8.3केअनुपालन के संबंध मेंठेकेदारकी घोषणा।

4.5 ठेकेदार द्वारा एक रजिस्टर भी तैयार किया जाएगा जिस में सभी कर्मचारियों के बारे में सभी भुगतानों / देय राशियों का उल्लेख किया जाएगा।

भाग – 6

“कार्य / अपेक्षाओं की अनुसूची”

केंद्रीयमाध्यमिकशिक्षा बोर्ड

प्रीत विहार, दिल्ली -92

निविदा सं।001/2015/भर्ती कक्ष दिनांक: 31/03/2015

अपेक्षाओंकीइस अनुसूचीमें,मानवशक्ति सेवाओंके विवरणऔर अन्य सूचना भी ठेकेदार कोप्रदान की जाएगी जिसमें सीबीएसई के अनुदेश तथा सीबीएसई के कार्यालय में तैनात कियेठेकेदार केकर्मचारियों के लिएअनुदेशोंऔर अनुबंध के सभीतरह के अन्यपहलूओंका उल्लेख किया जाएगा.

1. सामान्य अनुदेश

1.1 ठेकेदार द्वारा समस्त मानव शक्ति की तैनाती सीबीएसई द्वारा बताए गए तथा इस के अनुदेशों के अनुसार, सीबीएसई की सुविधानुसार की जाएगी।

1.2 ठेकेदार द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि तैनात किए गए सभी कार्मिक परिसरों से और सीबीएसई की व्यावसायिक गतिविधियों तथा इस से संबंधित मानव शक्ति की अपेक्षाओं से पूरी तरह से वाकिफ हो.

1.3 सीबीएसईके पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह किसी भी अवांछनीय या अन्यथा माने गए किसी भी व्यक्ति को हटा दें और ठीक इसी तरह से ठेकेदार के पास भी यह अधिकार सुरक्षित होगा कि आपातकाल के सिवाय, सीबीएसई की अग्रिम अनुमति से,किसी भी व्यक्ति कोहटा दे।

1.4 ठेकेदार द्वारा अपने कार्मिकों के लिए, ड्यूटी के दौरान होने वाली किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना और / या मृत्यु बीमा करवाया जाएगा।

1.5 ठेकेदार द्वारा पर्याप्त पर्यवेक्षण कियाजाएगा ताकि आवश्यकताओं के अनुसार, मानव शक्ति सेवाओं का उपयुक्त प्रकार से कार्य निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके.

1.6 ठेकेदारको अपने सभी कर्मचारियोंको पहचान पत्र, पहचान दस्तावेज जारी किए जाएंगें।जिन्हें हर समयप्रदर्शित करने के लिएठेकेदार द्वाराअनुदेश जारी किए जाएंगे।ठेकेदार के कर्मचारी, ठेकेदार द्वारा दिए गए विस्तृतअनुदेशोंऔर उसके नियंत्रणके अधीन कार्य करेंगे और इस करारनामे के अनुसार हुई सहमति के तहत दिए गए तरीके से तथा कर्तव्यों के निष्पादनके मॉडलके अनुसार कार्य करेंगे।

1.7 ठेकेदारकेकर्मचारीसीबीएसईके कर्मचारीनहीं होगेंऔर इसअनुबंध के तहत,उनके नियोजन / ड्यूटी के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भीप्रकार के वेतन याभत्ते, मुआवजे,नुकसान याकिसी भी अन्य चीज का दावा नहीं करेंगें।ठेकेदारइसकरारके तहतउनकीतैनातीकरनेसे पहले,लिखित रूप में,इस स्थितिके बारे मेंउन्हें अवगत करा देगा.

1.8 ठेकेदार द्वारा अपने कर्मचारियों को, अपनी लागत पर सभी लाभ, जिनमें सांविधिक तथा अन्य शामिल है, उपलब्ध कराएं जाएंगे तथा इस कारण से, सीबीएसई की किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।

1.9 ठेकेदार द्वारा सीबीएसई में तैनाती करने के लिए अपने कर्मचारियों से किसी भी प्रकार की राशि, पंजीकरण शुल्क / सेवा प्रभारों के रूप में वसूल नहीं की जाएगी तथा मानव शक्ति के नियोजन पर होने वाली लागत को बोर्ड द्वारा वहन किया जाएगा।

2. पर्यवेक्षण

2.1 **ठेकेदार** द्वारा सीबीएसईके कार्यालय मेंएकपूर्ण कालिक पर्यवेक्षकतैनातकिया जाएगाजो,यह सुनिश्चित करेगा कि मानव शक्ति की विभिन्न श्रेणियों को सीबीएसई द्वारा अलग अलग दी गई सभी ड्यूटियों को उन के द्वारा सीबीएसई की अपेक्षा के अनुसार निष्पादितकिया जा रहा है। इस में विफल रहने पर निम्नलिखित पैराग्राफमेंनिर्धारित किए गए अनुसार दण्ड लगाएं जा सकते है।

2.2 सीबीएसई के लिए सम्पर्क करने के लिए पहला व्यक्ति ठेकेदार कासुपरवाइजर होगा जोकिसभी प्रकार की आवश्यकताओंके लिएसीबीएसईके नामितअधिकारियो कोरिपोर्ट करेगा।

2.3 ठेकेदारयह सुनिश्चित करेगा कि समस्त सांविधिक / अनिवार्य आवश्यकताएं, चाहे वह मजदूरीसंवितरणसे संबंधित होयासंबंधित अधिकारियोंके पास ईपीएफ/ईएसआईसीको जमा किए जाने से संबंधित हो या मानवशक्तिकोईएसआईसीसुविधाएंउपलब्ध कराने से संबंधितहो, इन्हें ठेकेदार याइसके सुपरवाइजर के माध्यम सेपूरा किया जाएगा।

2.4 ठेकेदार यह भी सुनिश्चित करेगा कि सुपरवाइजर कार्यकारी /मानव संसाधनके स्तर से नीचेकान हो और वह मानव संसाधन से संबंधितसभीआवश्यकताओं को अच्छी तरह से समझता हो औरवहसभी आवश्यककार्रवाई शुरूकरने के लिए काफी हद तक तत्पर भी हो।

3. मानव शक्ति का नियोजन

3.1 केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षाबोर्ड,जो कि प्रीतविहार,दिल्ली 92पर कार्यरत है, को सुप्रतिष्ठित, पूर्ण रूप से स्थापितऔरआर्थिक रूप से सुद्दढ़ मानव शक्तिकंपनियों/ एजेंसी/फर्मों /ठेकेदार की सेवाओंकी आवश्यकता,**अनुबंध-क**के अनुसार,मानव शक्तिप्रदान करने के लिए,है.

3.2 विभिन्न श्रेणियों मेंनियुक्तमानवशक्तिको सीबीएसई द्वारा अपने दिल्ली /नई दिल्लीस्थित कार्यालयोंमें काम करनेके लिएतैनातकिया जाएगा.

3.4 तैनात की गई मानव शक्ति को कार्य करने के लिए 9.00बजेकाम पररिपोर्ट करना और 17.30बजेकार्यालय को छोड़ना होगा।यदि,तैनात कियागया कोई व्यक्ति,किसी दिन विशेष मेंअनुपस्थित रहताहैया देर से आता है /तीन अवसरों पर,कार्यालय से जल्दी चला जाता है तो इस के लिए एक दिनकीमजदूरीकोकाट लिया जाएगा।ऐसे दृष्टांतों की पुनरावृत्तिके मामले में,वाक्यांश3.5लागू हो जाएगा।

3.5 **यदि किसी व्यक्ति** द्वारा अपने व्यक्तिगत कारणों से नौकरी छोड़ी जाती है तो चयन किए हुए ठेकेदार द्वारा ऐसी अवस्था में विकल्पप्रदान किया जाएगा।**एजेंसी द्वारा विकल्प उपलब्ध कराने में किए गए दोकार्य दिवसोंसे अधिक के विलंब पर,यथानुपातआधारपरभुगतान मेंकटौतीके अलावा, 200 रूपये प्रतिदिन (प्रत्येक मामले में) की दर से, सेवा प्रदात्ता ठेकेदार पर,परिसमापन हर्जाना लगाया जाएगा।**

4. दण्ड

4.1 **ठेकेदार द्वारा तैनात की गई मानव शक्ति को महंगाई भत्ते सहित, यदि हो तो, वेतन का** भुगतान, प्रत्येक महीनेकी तारीख 5 तक किया जाएगा,जिस के न किए जाने परमहीने की 15 तारीख तक रू1000/- प्रति दिन की दर से दण्ड लगाया जाएगा।साथ ही उसकेअनुबंध को भी समाप्त किया जा सकता है.जमा प्रतिभूति / कार्य निष्पादन गारंटी को जब्त करलिया जाएगा तथा बैंक गारंटी का नकदीकरण करा लिया जाएगा।सीबीएसई को अधिकार होगा कि वह ठेकेदार के जोखिमऔरलागत परमानवशक्तिसेवाओं के लिएकिसी अन्यएजेंसीको नियुक्त कर दें.

4.2 जब कभी और जहांपर भी, पाया जाता है कि सौंपा गया कार्य,विशेष रूप सेठेकेदार केसुपरवाइजरकी देखरेख में,सीबीएसई की पूर्ण संतुष्टिके अनुसार नहीं किया जा रहा है तो इसे सीबीएसई द्वाराठेकेदारके ध्यान मेंलाया जाएगाऔर यदि तत्काल कोईकार्रवाईनहीं की जाती हैतोदण्डात्क वाक्यांश को लागू कर के, प्रति दिन, प्रति शिकायत पर, रू. 1000/- की दर से दंडलगाया जाएगा.

4.3 ठेकेदारकोइसअनुबंध के अनुसार, पर्याप्त संख्या में मानव शक्तिको बनाए रखना होगा और वैकल्पिक मानव शक्ति/सुपरवाइजर के पूलकी व्यवस्थाकरनी होगी।यदि कामगारों / सुपरवाइजरों / प्रबंधकों की अपेक्षित संख्या,अनुबंध में उल्लिखितकी गई निर्दिष्ट संख्या से कम होगी तो बिलों से रू. ।500/- प्रति अनुपस्थिति,प्रति दिन की दर से दण्ड की कटौती की जाएगी।

4.4 यदिठेकेदारनिविदादस्तावेजकीशर्तों के अनुसारन्यूनतमसांविधिक आवश्यकताओं,ईएसआईसी/ईपीएफको पूरा करनेमें विफल रहता हैऔर संबंधित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो इसे अनुबंध के उल्लंघनके रूप मेंमाना जाएगा और सीबीएसई,द्वारा मासिक बिलों तथा कार्य निष्पादन प्रतिभूति जमाराशि की जब्ती करने के साथ साथ ठेकेदार, प्रतिबंधित सूची में डालाजानेके लिएउत्तरदायीहोगा.

4.5 **अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन किए जाने पर और अपेक्षति संख्या में मानव शक्ति की सेवाएं प्रदान करने में विफल रहने पर, मानव शक्ति की हायरिंग करने पर आने वाली अतिरिक्त लागत सहित होने वाली** सभी प्रकारकी हानि के लिए, ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किए गए बिलों से या इसके तहत ठेकेदार को देय होने वाले बिलों से या किसी अन्य अनुबंध से या प्रतिभूति जमा राशि से,सीबीएसईद्वाराभर्तीदरकीदोहरीदर पर, यथानुपात,कटौतीकी जाएगी याउससे मांग की जाएगी कि वह सीबीएसईके पास यह राशि सात दिनों के अंदर जमा करा दें।

5. ठेकेदार का कार्य क्षेत्र

5.1 ठेकेदारकोअपने कर्मचारियों/पर्यवेक्षकोंकोमानकऔर साफवर्दीप्रदान करने के अतिरिक्त उनकोफोटो पहचानपत्रजारी करने चाहिए ताकि वे ड्यूटीकेसमयके दौरान इन्हें लगा सके।ठेकेदार या तैनात किए गए कर्मचारियों को, सीबीएसई द्वारा इन मदों के लिए किसीअतिरिक्त भुगतानकादावानहींकिया जाएगा।

5.2 **ठेकेदार को** सीबीएसईकेप्रीतविहारकार्यालय मेंतैनातसमस्त मानव शक्तिकोवेतनपर्चियां,ईपीएफसंख्या औरविधिवतसक्रियकिए हुए ईएसआईकार्डप्रदान करने चाहिए।ठेकेदारको यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् तैनात मानव शक्ति को कर्मचारी भविष्य निधिविवरणतुरंतप्रदान कर दी जाती हैं।इन अभिलेखोंके प्रस्तुत करनेमें होने वाली किसी भी प्रकार की देरी के कारण,सीबीएसईके सक्षम प्राधिकारीके निर्णय के अनुसार,बिल सेएकआनुपातिक राशिकाटने को,सीबीएसई,मजबूर हो जाएगा।

5.3 **ठेकेदार को केवल** वयस्कऔर कुशलकर्मियों को कामपर लगाना चाहिए।बाल श्रमके नियोजन पर, ठेकेदार अपने जोखिमऔरलागत पर,अनुबंध कोसमाप्तिकी ओर ले जाएगा।ठेकेदारद्वाराउपयुक्त चरित्र औरपुलिससत्यापन के बादहीसीबीएसईमेंविश्वसनीयव्यक्तियोंकी तैनाती की जाएगी तथा इस तरह केकार्योंके लिए अनुबंध श्रम कानूनोंके अनुसार प्रचलित कोई भी शर्त थोपने की कार्रवाई जैसे किअनुशासनात्मककार्रवाई करनेयाअपने किसीभी कार्यरत व्यक्ति को पुरस्कृत करना,केवल उसकी अपनी लागत, जोखिम औरजिम्मेदारियोंपर, किया जाएगा।ठेकेदारद्वारा सीबीएसई को सभी स्टॉफ सदस्यों के नाम,आयु,पिता का नाम,पता (आवासीय के साथ साथ स्थाई पता) उपलब्ध कराए जाएंगे तथा जब कभी कर्मचारियोंकेपते में परिवर्तन होगा,तो इसकी सूचना भी दी जाएगी।

5.4 ठेकेदार यूनियनोंके साथनिपटने तथा मामलों का निपटान करने के लिए, उनसे बातचीत करेगा और सुनिश्चित करेगा कि सीबीएसई के पास कोईभीश्रमविवाद/ समस्या न पहुंचें।ठेकेदार इस बारे में सीबीएसई को पूरीतरह से क्षतिपूर्ति करेगा.

5.5 **ठेकेदार सीबीएसई को, होने वाले** सभी दावों,नुकसानों या मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 के प्रावधानों के तहत मुआवजा,न्यूनतममजदूरी अधिनियम, 1948, नियोक्ता दायित्व अधिनियम, 1938,कर्मकारक्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947;मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961;दिल्लीदुकानेंऔर आवश्यकअधिनियम यासमय समय पर इनमें किए गए किसी भीसंशोधन याइन से संबंधित किसी भी अन्य कानून तथा नियमों के तहत सदैव क्षतिपूर्ति करेगा।इस संबंध मेंसीबीएसईकी कोई भीजिम्मेदारीनहींहोगी।

5.6 ठेकेदारकेकर्मचारीहमेशाअनुशासित,ठीक सेकपड़े पहने हुएऔरड्यूटीके दौरान सभी के साथ सदैव ठीक तरह से पेश आएंगें। ठेकेदार द्वारा तैनात किए जाने वाले सभी व्यक्ति विविध प्रकार के

कार्यों को करने के लिए ठीक प्रकारसे प्रशिक्षित,अपेक्षितयोग्यता, अनुभव और कौशल प्राप्त होगें।यदिठेकेदारका कोई स्टाफ सदस्य इसअनुबंध के तहततैनातकिए जाने पर बीमारपड़ जाता हैयाघायल हो जाता हैयावह अपनी डयूटी के दौरान हड़ताल पर चला जाता है / कार्य निष्पादनके दौरान अनुचित गतिविधियों में संलिप्त हो जाता है तो ऐसे मामलों से निपटने के लिएठेकेदारपूरी तरह सेजिम्मेदार होंगे।ठेकेदार,इसअनुबंध के तहतसभी प्रकारसेसीबीएसईकोक्षतिपूर्ति करेगा.

5.7 सीबीएसईपरिसर मेंयाडयूटी के निष्पादन के दौरान किसी भी समय, चाहे वह निजी क्षेत्र में हो या सार्वजनिक क्षेत्र में,ठेकेदार केकर्मचारियोंपर नजर रखी जाएगी / सुरक्षाकर्मियों द्वाराजाँच की जाएगी।

5.8 ठेकेदार केकर्मचारियों द्वारा अपनी डयूटी का निष्पादन कार्यालय परिसर में उचित अध्यवसाय के साथ किया जाएगा और सरकारी सम्पत्ति / व्यक्तियों को किसी भीप्रकार के नुकसान या क्षतिसे बचने के लिए,सभी सावधानियोंके साथ किया जाएगा।

5.9 ठेकेदार द्वारातैनातकर्मचारियों कीचूकके कारण और उनके अनुचित व्यवहार के कारण दिखाई गई किसी भीव्यक्ति या व्यक्तियों के प्रति अनुशासनहीनता / परिसर की सम्पत्तियों की किसी भीप्रकार की चोरी,नुकसान या क्षतिके लिए ठेकेदारपूरी तरहजिम्मेदार होंगे.

5.10 ठेकेदार द्वाराअपने कर्मचारियों को किया जाने वाला भुगतान, सीबीएसई के प्रतिनिधि की उपस्थितिमेंकिया जाएगा,जो कि वेतनवितरितकरने के प्रमाणस्वरूपभुगतानरजिस्टरपर हस्ताक्षरकरेगा।

6. कार्य क्षेत्र – सेवाओं के लिए

6.1 ठेकेदारके कर्मियों कोदिल्ली / नई दिल्ली /एन सी आरमेंस्थितकेन्द्रीय माध्यमिक शिक्षाबोर्ड केकार्यालयों मेंतैनातकिया जाएगा।

6.2 सभी सेवाएं प्रदानकरते समय,ठेकेदारद्वारा सुनिश्चित किया जाएगा किसभीकार्य, निरपवाद रूप से,सीबीएसईके वांछितमानकोंके अनुसार किए जा रहे हो, जिसमें विफल रहनेपर,इस बोली दस्तावेज में दिए गए दण्ड संबंधीवाक्यांश लागू हो जाएंगे।

6.3 ठेकेदार यह भी सुनिश्चित करेगा कि वह सीबीएसई के परिसर में विभिन्नप्रकार की सेवाओं के लिए,इस तरह के,चतुर, बुद्धिमान,अनुभवी औरपूरी तरह से शैक्षणिकयोग्यताप्राप्त कर्मचारियों को ही तैनात करेगा जोसीबीएसई के मानकोंकी आवश्यकताओंको पूरा कर सके, जिस के न किए जाने पर ठेकेदार इन्हें तुरंतप्रतिस्थापितकरने केलिए उत्तरदायी होगा।

केंद्रीयमाध्यमिकशिक्षा बोर्ड

प्रीत विहार, दिल्ली -92

निविदा सं।001/2015/भर्ती कक्ष दिनांक: 31/03/2015

7. आचार संहिता :

ठेकेदारकड़ाई के साथ देखेगा कि उसके कार्मिक :

Φहमेशाफुर्ती से कार्य करे औरसतर्क रहें।

Φसमय के पाबंदहो और ड्यूटीकासमयशुरू होने से कम से कम 15 मिनटपहले पहुंच जाए।

Φअपने कर्तव्योंकाठीक सेऔर अच्छी तरह से निर्वहन कर रहे हो.

Φ अपने कर्तव्यों का ईमानदारी और निष्ठाके साथपालनकरें।

Φ अपने पद को समझेऔर पहचाने व कार्य स्थल पर अनुदेशों को पढ़ने के बादइनका पालन करें.

Φसीबीएसईकेकार्यालयके सभी अधिकारियोंऔर कर्मचारियोंको सम्मान दें।

Φडयूटी पर शराब न पिएयानशे मेंडयूटी पर न आएं

Φड्यूटी के दौरान गपशप याचिटचैटन करें।

Φड्यूटीपर कार्य के दौरान न सोएं।

Φड्यूटी के दौरान अखबार या पत्रिकाको नपढ़ें।

Φकिसी भी प्रकार की अप्रिय घटना/कदाचारयादुर्व्यवहारकी घटना घटित होने पर तुरंतवेन्डरकंट्रोलऔर सीबीएसईकोरिपोर्ट करे.

Φसंदेह होने पर संबंधित व्यक्ति से तुरंतसम्पर्क करें।

Φ जब कभी वेबाहर जाने लगे तो इन की जांच सुरक्षाकर्मियों द्वाराकराएं.

Φ आगन्तुकों से बातचीत न करें.

Φकार्यालय परिसरमें धूम्रपानन करें।

गोपनीयता

- ☞ सीबीएसईके फोन नंबरऔर अधिकारियोंके आवागमन संबंधी योजनाकी जानकारी किसी कोन दी जाए.
- ☞ सीबीएसईके बारे में निम्नलिखितजानकारी किसीको नहीं दी जाएगी-
  - किसी भी अधिकारी (यों) की कार का मेक, रंग तथा कार संख्या।
  - टेलीफोननं. / अन्य कोई जानकारी.
  - उनकी लोकेशन औरआवागमन की योजना.
  - बैठकऔरसम्मेलनके कार्यक्रमकी जानकारी.
  - परिसरकी साइट की योजना.
  - सीबीएसईके अधिकारियों की यात्रा के विवरण.
  - कार्यालयकीआस्तियोंकी सूचना।

दूरभाष संचालन करना

- ☞ सीबीएसई के बारे में कोई भी सूचना किसी को नहीं दी जाएगी।
- ☞ ठेकेदारद्वारा अपने कर्मचारियों को कड़ाई के साथ अनुदेश दिए जाएंगें कि वे सीबीएसई में उपलब्ध टेलिफोनकी सुविधा का दुरूपयोग न करें।

भाग – 7

"तकनीकी बोली के फार्म"

केंद्रीयमाध्यमिकशिक्षा बोर्ड

प्रीत विहार, दिल्ली -92

निविदा सं।001/2015/भर्ती कक्ष दिनांक: 31/03/2015

अनुबंध-I

तकनीकी बोली

(इसे एक अलग लिफाफे में सील किया जाएगा)

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मेंमानव शक्ति सेवाएं प्रदान करने के लिए

1. निविदाकर्ता कम्पनी /फर्म / एजेंसी का नाम : ______________________________
   (सांविधिक प्राधिकारियों के पास पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें.)

2. कम्पनी /फर्म / एजेंसी के स्वामियों/ निदेशकों/पार्टियों / सांझेदारों के नाम
   1.____________________पुत्र/ पुत्री/ पत्नी _________________
   2.______________________पुत्र/ पुत्री/ पत्नी_________________
   3.______________________पुत्र/ पुत्री/पत्नी _________________

3. पंजीकृत कार्यालय का पूरा पता ______________________________
   ____
   ____
   टेलिफोन नं.: ______________________________
   फेक्स नं. ______________________________
   ई मेल का पता : ______________________________

4. पैन / जी आई आर सं. ______________________________
   (स्वयं सत्यापित प्रति संलग्न करें)

5. सेवा का पंजीकरण सं. ______________________________
   (स्वयं सत्यापित प्रति संलग्न करें)

6. ई पी एफ पंजीकरण सं. ______________________________
   (स्वयं सत्यापित प्रति संलग्न करें)

7. ई एस आई पंजीकरण सं. ______________________________
   (स्वयं सत्यापित प्रति संलग्न करें)

8. गत 2 वर्षों के दौरान निविदाकर्ता कंपनी / फर्म / एजेंसी का वित्तीय टर्न ओवर :
   (समर्थन में दस्तावेज संलग्न करें)

वित्तीय वर्ष	राशि (रू. में)	टिप्पणी, यदि हो तो
2013-14		
2014-15		

9. निविदाकर्त्ता द्वारा गत दो वर्ष के दौरान, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी विभागों में इसी प्रकार की बड़ी निविदाएं संचालित करने के विवरण निम्न प्रारूप में दें।(काम के आदेश की सत्यापित प्रतियां संलग्न करें)

क्र.सं.	पते, टेलिफोन नं. तथा फेक्स सं. सहित ग्राहक के विवरण	अनुबंध की राशि (रू.लाखों में)	अनुबंध की अवधि		अनुबंध की प्रकृति
			से	तक	
1					
2					
3					

(यदि दी गई जगह कम हो तो एक अलग पेपर की शीट संलग्न करें)

10. अतिरिक्त सूचना, यदि हो तो (यदि आवश्यक हो तो अलग से शीट लगा दे)

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

दिनांक: नाम: ______________________________

स्थान: सील: ______________________________

भाग – 8

"वित्तीय बोली के फार्म"

केंद्रीयमाध्यमिकशिक्षा बोर्ड
प्रीत विहार, दिल्ली -92

निविदा सं।001/2015/भर्ती कक्ष   दिनांक: 31/03/2015

अनुबंध-III

वित्तीय बोली

(इसे एक अलग सील किए हुए लिफाफे में संलग्न किया जाए)

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में मानव शक्ति सेवाएं प्रदान करने के लिए

1. निविदाकर्त्ता कम्पनी /फर्म / एजेंसी का नाम : ______________________________

2. अग्रिम जमा राशि के विवरण : रू. ___________________________

मांग ड्राफ्ट सं.___________ / भुगतान आदेश सं. एवं दिनांक: _____________________

आहरिती बैंक का नाम : ____

3. प्रति कर्मचारी दी गई दरों में ऐसे सांविधिक भुगतान तथा देयताएं शामिल होगी जो उस तिथि में लागू हो और समय समय निम्नानुसार संशोधित हो।

क्र. सं.	**दरों के घटक**	
1.	कर्मचारी भविष्य निधि @	
2.	कर्मचारी राज्य बीमा @	
3.	लागू बोनस अधिनियम के अनुसार, बोनस का भुगतान	
4.	सेवा कर देयता @ %	

प्रत्येक निर्दिष्ट पद के लिए मजदूरी से कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा के अतिरिक्त किसीभी प्रकार के अंशदान की कटौती न की जाए। ठेके पर लगाए गए स्टॉफ को निविदादाता द्वारा केवल ई सी एस / आदाता खाते में जमा चेक के माध्यम से भुगतान किया जाएगा ।

यह माना जाएगा कि ठेके पर लगाए गए कर्मचारी को उपरोक्त संविदा दायित्वों के अनुसार भुगतान करने का दायित्व निविदादाता को होगा तथा वह इसका दावा बोर्ड से करेगा। उपरोक्त सांविधिक भुगतानों की गणना बोर्ड द्वारा की जाएगी तथा निविदादाता को इन को उद्धृत करने की आवश्यकता नहीं है।

(ख)**प्रशासिनिक प्रभार :-**निविदादाता को ठेके पर लगाए गए कर्मचारियों के लिए केवल प्रशासनिक प्रभारों को उद्धृत करने की आवश्यकता है जोकि अनुबंध का अधिनिर्णय करने में निर्णायक कारक होगा ।

ठेके पर लगे स्टाफ की मजदूरी के % में प्रशासनिक प्रभार	

केंद्रीयमाध्यमिकशिक्षा बोर्ड

प्रीत विहार, दिल्ली -92

निविदा सं।001/2015/भर्ती कक्ष　　　　　　　　　　　　　　दिनांक: 31/03/2015

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

दिनांक:　　　　　　　　　　　　　　पूरानाम:______________________________

स्थान:　　　　　　　　　　　　　　सील: ________________________________

<u>टिप्पणी:</u>

महीने के दौरान लगाए गए प्रत्येक व्यक्ति के लिए, केवल निष्पादित की गई डयूटी के आधार पर, महीने की समाप्ति पर, भुगतान किया जाएगा।

भाग – 9

“फार्म”

केंद्रीयमाध्यमिकशिक्षा बोर्ड

प्रीत विहार, दिल्ली -92

निविदा सं।001/2015/भर्ती कक्ष दिनांक: 31/03/2015

अनुबंध-II

घोषणा

1. मै, ______________________पुत्र/पुत्री/ पत्नी श्री ________________________ उपरोक्त एजेंसी / फर्म में स्वामी / सांझेदार/ निदेशक/के रूप में एक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हूँ और इस घोषणा पर हस्ताक्षर करने तथा यह निविदा दस्तावेज निष्पादित करने के लिए सक्षम हूँ;

2. मैनें इस निविदा की सभी शर्तों तथा नियमों को पढ़ लिया तथा समझ लिया है और इनका पालन करने का वचन देता / देती हूँ;

3. उपर्युक्तआवेदन के साथदी गई सूचनादस्तावेज /सही है औरमेरी जानकारी औरविश्वास के अनुसारप्रामाणिक हैं।मुझे / हमें अच्छी तरह से पता है कि किसी भीप्रकार की झूठी जानकारी देने/बनाए गए दस्तावेज़ प्रस्तुतकरने पर, किसी भी स्तर पर मेरी निविदा को निरस्त किए जाने के साथ साथ उपयुक्तकानूनके तहत अभियोजनचलानेकेदिशा मेंदेनदारियोंकी ओर ले जाएगा।

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

दिनांक: पूरानाम:__________________________

स्थान: सील: __________________________

अनुबंध-V

कार्य निष्पादन प्रतिभूति बॉण्ड फार्म

भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें,बाद में 'सरकार' कहा जाएगा) के द्वाराविचार किए जाने के बाद,...........................(जिसे इसके बाद में 'उक्त ठेकेदार कहा जाएगा) को कारानामे/खरीद के आदेश संख्या .... दिनांक .... को .... और .... के बीच .... की आपूर्ति के लिए हुए करारनामें की शर्तोंएवं नियमों के तहत, (जिसे इसके बाद में उक्त करारनामा कहा जाएगा) में निष्पादन गारंटी से छूट देने हेतु सहमति प्रदान कर दी है, जिसे उक्त करारनामें में दी गई शर्तों एवं नियमों को पूरा करने के लिए निष्पादन प्रतिभूति के रूप में दिया जाना है और इसके स्थान पर बैंक गारंटी देने के लिए हम .... (बैंक का नाम) .... ठेकेदार, इस के द्वारा सीबीएसई को हुए या होने वालीकिसी भी प्रकार की हानि या नुकसान के लिए या उक्त ठेकेदार द्वारा, उक्त करारानामें में दी गई किसी भी शर्त या नियम के उल्लंघन के कारण,सीबीएसई को हुई या उसके द्वारा वहन की जाने वाली किसी भी प्रकार की हानि या नुकसान के प्रति, अधिकतम रूपये ....तक की राशि को अदा करने का वचन, इस के द्वारा,प्रदान करते है।

2. हम____ (बैंक का नाम), उक्त ठेकेदार द्वारा निष्पादन में विफल रहने पर, सीबीएसई को हुई हानि या नुकसान या उठाई गई हानि या नुकसान के लिए सीबीएसई द्वारादावा की गई देय राशिको, इस गारंटी के तहत, बिना किसी हर्जाने के, केवल सीबीएसई की मांग पर अदा करने का वचन देते है। बैंक पर सीबीएसई द्वारा की गई इस गारंटी के तहत की गई देय राशि के बारे में तथा देयता के संबंध में, ऐसी कोई भी मांग निर्णायक होगी जिसमें इस बारे में सीबीएसई का निर्णय अंतिम और बैंक को मान्य होगा। हालांकि, इसगारंटी के तहतहमारादायित्वरूपये___________________की राशि से अधिक नहींहोगा।

3. हमसीबीएसई द्वारा इस प्रकार से मांगी गई कोई भी राशि, बिना किसी विवाद के या ठेकेदारों/ आपूत्तिकर्त्ताओं द्वारा किसी न्यायालयया न्यायाधिकरण में, हमारी देयता के संबंध में हमारी देयता के पूरी तरह से और असमान होने के बावजूद,लंबित किसी वाद या कार्यवाही में होने वाले विवादों के बावजूद,भुगतान करनेका वचन देते है। इस बॉण्ड के तहत हमारे द्वारा इस प्रकार से किया गया कोई भी भुगतान, इस के तहत हमारे दायित्व के लिए भुगतान का वैध डिस्चार्ज होगा और ऐसा भुगतान करने के लिए,ठेकेदार/ आपूर्तिकर्त्ताओं का हमारे ऊपर कोई दावा नहीं होगा।

4. हम,____________________________________ (बैंक का नाम),इसके साथ ही सहमत है कि इस में दी गई गारंटी, ठेके के सभी अनुबंधात्मक दायित्वों के पूरा होनेकी तारीख के बाद,साठ दिनोंकी अवधि के दौरानपूरी तरह से प्रभावित रहेगी जिस में वारंटी के दायित्व भी शामिल है और कि यह

गारंटी तब तक प्रभावी रहेगी जब तक कि इसके तहत या उक्त करारनामे के तहत सीबीएसई की सभी देयताओं का भुगतान नहीं हो जाता और इसका दावा या डिस्चार्ज पूरा नहीं हो जाता या जब तक कि .... (सीबीएसई) द्वारायह प्रमाणित नहीं किया जाता कि उक्त करारनामे की सभी शर्तें एवं नियमों को उक्त ठेकेदार द्वारा पूरी तरह से तथा विधिवत पूरा कर दिया गया है और तदनुसार इस गारंटी को रिलीज कर दिया जाएं।

5. हम,__________________________ (बैंक का नाम),आगेसीबीएसईसे सहमत है कि सीबीएसई को हमारीसहमति के बिना और किसीभीप्रकार से हमारे दायित्वों को प्रभावित किए बिना,पूरी स्वतंत्रता होगी कि इस के तहत उक्त करारनामें की किसी भी या किन्हीं भी शर्तों एवं नियमों को बदल दें या समय समय पर उक्त अनुबंध के निष्पादन की अवधि को बढ़ा दें या उक्त ठेकेदार और इसके विरूद्ध किसी भी समय या समय समय पर सीबीएसई द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों को बदल दें और उक्त करारनामें के संबंध में किन्हीं भी शर्तों एवं नियमों से दूर रहे या लागू कर दें और हम, उक्त अनुबंध में किए गए ऐसे किसी भी विचलन, या एक्सटेंशन या सीबीएसई द्वारा इनसे दूर रहने, सीबीएसई के किसी कार्य या कमीशन के कारण या सीबीएसई के उक्त अनुबंध पर किसी भी प्रकार के अनुग्रहया प्रतिभूतियों के संबंध में कानून के तहत इस प्रकार की किसी वस्तु या मामले में, चाहे जैसा भी हो, जिसका हम पर प्रभाव पड़ता हो, के कारण किसी भी कारण से, हम अपनेदायित्व से मुक्त नहीं होंगें।

6. बैंकया ठेकेदार (ठेकेदारों)/ आपूर्तिकर्ता (ओं) के संविधान मेंपरिवर्तनहोने के कारण, इस गारंटी को विमुक्त नहीं किया जाएगा.

7. हम .... (बैंक का नाम) अन्त में,सीबीएसईकी पूर्व लिखितसहमतिके बिना, इस गारंटी को, इसकी अवधि के दौरान, निरस्त न करने का वचन देते है।

दिनांक____________ दिन__________ (मास), दो हजार पंद्रह.

कृते______________________________

(बैंक का नाम दें)

<u>साक्ष्य:-</u>

1.

टेलिफोन सं.:___________________

एस टी डी कोड ....

फेक्ससं. :................................

ईमेल पता :- ___________________

2.

केंद्रीयमाध्यमिकशिक्षा बोर्ड

प्रीत विहार, दिल्ली -92

निविदा सं।001/2015/भर्ती कक्ष दिनांक: 31/03/2015

अनुबंध-VI

अनुबंध फार्म

1. यह करार आज दिनांक को ....तथा ....के बीच किया जाता है, जिसे इसकेबाद में ' कंपनी का नाम', प्रथम पार्टी कहा जाएगा जिसकी अभिव्यक्ति में इसके वारिस,निष्पादकऔर प्रशासक/इसकेउत्तराधिकारी शामिल होंगे तथा इसमें दूसरीपार्टी संयुक्त सचिव (ए एंड एल), सीबीएसई (मुख्यालय), नई दिल्ली के माध्यम से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड होगा, जिसे इसके बाद सीबीएसई कहा जाएगा और जिसमें इसकेउत्तराधिकारी तथा समनुदेशक शामिल होंगे, जोकि नीचे दिया गया है- :

2. कि इस कार्यालय के दिनांक ....के निविदा नोटिस के संदर्भ में जबकिपहलीपार्टी इस कार्यालय को अनुबंध - क में दिए गए अनुसार मानव शक्तिविवरणकी सेवाएं प्रदान करेगा, जिसकी दरें उसके द्वारा दिनांक ....की निविदा ....में द्वारा उद्धृत की गई है और जिसकी शर्तें तथा नियम निविदा आमंत्रण सूचना (NTTNIT) और दिनांक ....की उपरोक्त निविदा सूचना में दी हुई है, भी इस करारनामे का अभिन्न अंगबन जाएगा।

3. किपहलेपार्टी द्वारा मांगकिए जाने पर भुगतान उक्तनिविदादस्तावेजके वाक्यांश 4 '' कार्योंतथा अपेक्षाओं की अनुसूची,पृष्ठ संख्या 31 के अनुसार कियाजाएगा।

4. पहलीपार्टी द्वारा उक्तनिविदादस्तावेजकीमदों की आपूर्ति न किए जाने और /याशर्तों एवं नियमों का उल्लंघन किए जाने पर,दूसरीपार्टी केद्वाराकार्य निष्पादन प्रतिभूति बॉण्ड का नकदीकरण करा लिया जाएगा

5. निविदादस्तावेजसं. ....के अनुसार, यह करारनामा दिनांक ....से एक वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है जैसा कि अनुबंध के दस्तावेजोंके अनुसार,अनुबंध की सामान्य शर्तों' (पृष्ठ सं. 22) के वाक्यांश10, जैसा कि उन्हीं शर्तों, नियमों के आधार पर, दूसरे पार्टी द्वारा निर्णय लिया गया है।

इस के साक्ष्य के रूप में ऊपर दिए गए पक्षों द्वारा .... वर्ष2015 के ....दिन को अपने हस्ताक्षर किए गए.

<u>ठेकेदार के साक्ष्य</u>

1.

2.

<u>सीबीएसई के साक्ष्य</u>

1.

2.

केंद्रीयमाध्यमिकशिक्षा बोर्ड

प्रीत विहार, दिल्ली -92

निविदा सं।001/2015/भर्ती कक्ष दिनांक: 31/03/2015

अनुबंध -VII

बोली खोलने के समय उपस्थित रहने के लिए अधिकार पत्र

विषय: **निविदा ....के दिनांक ....को खोलने के समय उपस्थित रहने हेतु प्राधिकार पत्र।**

_________________________________)बोलीदाताकी ओर से, नीचे दी गई वरीयता के क्रम में, उपरोक्त निविदा के लिए बोलियों को खोलते समय,निम्नलिखित व्यक्तियोंको,इसके द्वारा, अधिकृत किया जाता है - :

वरीयता क्रम	नाम	नमूने के हस्ताक्षर
I		
II		

वैकल्पिक प्रतिनिधि

____

बोलीदाता के हस्ताक्षर

या

बोलीदाता की ओर से बोली दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

टिप्पणी:

1. बोलीखोलते समय अधिकतम दोप्रतिनिधियोंको इसमें भाग लेने कीअनुमति दी जाएगी।जहां पर मामले में इसे एकतककरने के लिए सीमितकिया गया होगा तो पहलीवरीयताको अनुमति दी जाएगी।नियमितप्रतिनिधिकेभाग लेने में सक्षमनहीं होने पर ही वैकल्पिकप्रतिनिधिको भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।

   उपरोक्त अनुसार अधिकार पत्र प्राप्त न होने की अवस्था में, जिस हॉल में बोलियां खोली जानी है,प्रवेश करने की अनुमतिदेने से इनकार कियाजा सकता है।

केंद्रीयमाध्यमिकशिक्षा बोर्ड

प्रीत विहार, दिल्ली -92

निविदा सं।001/2015/भर्ती कक्ष दिनांक: 31/03/2015

अनुबंध -VIII

निविदा पूर्व अखण्डता समझौता

सामान्य

इस बोली से पूर्व निविदा से पहले समझौते (जिसे बाद में अखण्डता समझौता कहा जाएगा) को वर्ष 2015 के ....महीने के ....दिन किया गया, जिस में पहले पार्टी के रूप में संयुक्त सचिव (ए एंड एल) के माध्यम से कार्यरत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है (जिसे बाद में क्रेता कहा जाएगा और संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न होने पर, जिसकी अभिव्यक्ति से तात्पर्य कार्यालय में इसके उत्तराधिकारी और समनुदेशक है तथा इस में शामिल है) जोकि एक पार्टी है और मैसर्ज ...., मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, जिसका प्रतिनिधित्व श्री .... के द्वारा किया जाएगा (जिसे बाद में बोलीदाता / विक्रेता कहा जाएगा, जिसकी अभिव्यक्ति में, संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न होने पर, जिसकी अभिव्यक्ति से तात्पर्यइसके उत्तराधिकारी और अनुमति प्राप्त समनुदेशक है तथा इस में शामिल है),जोकि दूसरा पार्टी होगी।

चूंकि, क्रेता द्वारा आउट सोर्सिंग के माध्यम से, मानव शक्ति प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है और बोलीदाता / विक्रेता इसके लिए प्रस्ताव करने का इच्छुक है / इसको उपलब्ध कराने के लिए उसने प्रस्ताव दिया है.

चूंकि, बोलीदाता एक प्राईवेट कंपनी / सार्वजनिक कंपनी / सरकार / उपक्रम / सांझेदार / पंजीकृत निर्यात एजेंसी है, जिसका गठन मामले में संबद्ध कानून के अनुसार किया हुआ है और क्रेता एक स्वायतसंगठन है जो कि अपना कार्य मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से करता है

इस लिए,

अब, की जाने वालेअनुबंध की अवधि के दौरान तथा इस के बाद में,सभी प्रकार के भ्रष्टाचार से बचने के लिए, सभी प्रकार से निष्पक्ष,पारदर्शीऔर किसी भीप्रकार के प्रभाव/पक्षपात रहित व्यवहारके लिए, यह करारनामा किया जा रहा है ताकि - :

क्रेता द्वारा प्रतिस्पर्धी दर पर,परिभाषितविनिर्देशोंके अनुरूप,वांछित मानव शक्ति प्राप्त हो सके जिससे कि वह सार्वजिक खरीद परउच्च लागत और भ्रष्टाचार केविकृतप्रभावसे बच सके, और

बोलीदाताओंको निविदा प्राप्ति हेतु किसी भी प्रकार से रिश्वत देने या किसी भी प्रकार के अन्य भ्रष्ट तरीकों से बचने के लिए सक्षम करने हेतु यह आश्वासन देते हुए कि उनके प्रतिद्वंद्वियोंको भीकिसी भी रूप मेंरिश्वतऔर अन्यभ्रष्ट तरीकोंसे परहेज करना चाहिए और खरीदारभीपारदर्शी प्रक्रियाका पालन करते हुएअपने अधिकारियों को किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचारसे बचाने के लिएप्रतिबद्ध है।

केंद्रीयमाध्यमिकशिक्षा बोर्ड

प्रीत विहार, दिल्ली -92

निविदा सं।001/2015/भर्ती कक्ष दिनांक: 31/03/2015

इसके द्वारासंबंधित पक्ष, इस अखण्डता समझौते पर हस्ताक्षर करते है तथा निम्नानुसार सहमत है:-

1. **<u>क्रेता की प्रतिबद्धताएं</u>**

1.1 क्रेता वचन देता है कि क्रेता का कोई भी अधिकारीइस अनुबंध के साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नहीं जुड़ा है, न ही कोई मांग करेगा, न किसी भी प्रकार का वायदा करेगा या प्रत्यक्ष रूप से या किसी मध्यस्थ के माध्यम से, अपने लिए या अनुबंध से संबंधित किसी अन्य व्यक्ति, संगठन या तीसरे पार्टी के लिए, किसी भी प्रकार की रिश्वत, प्रतिफल, भेंट,पार्टी करने के लिए ईनाम या किसीभी प्रकार का भौतिक या अभौतिक लाभ या अन्य किसी भी प्रकार का लाभ बोलीदाता से, बोली प्रक्रिया, निविदा देने के लिए बोली मूल्यांकन में या अनुबंध से संबंधित कार्यान्वयन प्रक्रिया में लाभ प्रदान करने के बदले में,स्वीकार नहीं करेगा,

1.2 क्रेता द्वारा,पूर्वनिविदा स्तर पर सभीबोलीदाताओंके साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा और सभी बोलीदाताओं कोएक समानजानकारीप्रदान की जाएगी और ऐसी कोई भी सूचना किसी बोलीदाता विशेष को नहीं दी जाएगी, जिस के फलस्वरूप, उस बोलीदाता विशेष को, अन्य बोलीदाताओं के तुलना में लाभ हो सकता है।

1.3 क्रेताके सभीअधिकारीऊपरोक्तप्रतिबद्धताका किसी भीप्रकार के उल्लंघन करने या उल्लंघन करने के प्रयासों के साथ साथ ऐसे उल्लंघनकेकिसी भी पर्याप्तसंदेहकीरिपोर्ट उपयुक्त सरकारी अधिकारी को करेंगे।

2. **यदि किसी** मामले में,ऐसेअधिकारीयद्वारा किए गए ऐसे किसी भीपूर्ववर्तीकदाचार की सूचना बोलीदाता द्वारा क्रेता को पूरेऔरसत्यापित तथ्यों के साथ दी जातीहै और क्रेता द्वारा इसे प्रथम दृष्टया सही पाया जाता है,तो क्रेता द्वारा आवश्यकअनुशासनात्मककार्यवाहीया कोई भी उपयुक्त समझी जाने वाली कार्रवाई, जिस में आपराधिक कार्यवाही भी शामिल है, आरंभ की जाएगी और ऐसे व्यक्ति को,अनुबंध की प्रक्रिया में आगे कार्रवाई करने से वंचित कर दिया जाएगा।ऐसे मामले में, जहां पर क्रेता द्वारा जांच की जा रही हो,अनुबंध के तहत कार्यवाहीकोठपनहीं किया जाएगा।

3. **<u>बोलिदाताओं की प्रतिबद्धताएं</u>**

बोलीदाताओंको,बोलीके किसी भी चरणके दौरान याअनुबंध पूर्व या अनुबंध के बाद की अवस्था में,अनुबंध प्राप्त करने के लिए या इसे प्राप्त करनेके लिए आगे बढ़नेके लिए,भ्रष्ट प्रणालियों, अनुचित साधनों और अवैध क्रियाकलापों से बचने के लिए आवश्यक सभी उपाय स्वयं करने चाहिए और विशेष रूप से निम्नलिखित कार्यों से बचना चाहिए:-

3.1 बोलीदाता को चाहिए कि वह बोली प्रक्रिया से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े किसी भी व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति, संगठन या अनुबंध से संबद्ध किसी अन्य पार्टी को बोली में,अनुबंधों के मूल्यांकन करने में तथा अनुबंध के क्रियान्वयन में किसीभी प्रकार का लाभ प्राप्त करने के लिए,किसी भी प्रकार की रिश्वत, उपहार,प्रतिफल,इनाम,पक्षपात,किसी भी प्रकारकाभौतिकयासारहीनलाभया अन्यलाभ,कमीशन, फीस,दलालीयाप्रलोभन न दें।

3.2 बोलीदाता, आगे यहवचन देता है कि उसने क्रेता के किसी भी अधिकारी को,प्रत्यक्ष यापरोक्ष रूप से,किसी भीप्रकार की रिश्वत, उपहार,प्रतिफल,इनाम,पक्षपात,किसी भी प्रकारकाभौतिकयासारहीनलाभया अन्यलाभ,कमीशन, फीस,दलालीयाप्रलोभननहीं दिया है, देने का प्रस्ताव नहीं किया है या देने का वादानहीं किया हैयाकिअनुबंध प्राप्त करने के लिए ऐसा करने से परहेज किया है याअनुबंध को प्राप्त करने या निष्पादन के संबंध में या सरकार के साथ अन्य किसी अनुबंध में पक्षपात करने के लिए या संविधा के संबंध में या सरकार से किसी अन्य अनुबंध के संबध में किसी अन्य व्यक्ति का पार्टी न लेने के लिए, ऐसा कोई कार्य नहीं किया है।

3.3 बोलीदाताओं को अपने एजेंटोंऔर उनके प्रतिनिधियों के नाम एवं पतोंका खुलासा करना होगा और भारतीय बोलीदाताओं को अपने विदेशीप्रिंसिपलोंया सहयोगियोंकाखुलासा करना होगा।

3.4 बोलीदाताओंकोइसबोली/अनुबंध के संबंध में,एजेंटों/ दलालोंया किसी अन्यमध्यस्थको,उनके द्वाराकिए जाने वालेभुगतानका खुलासाकरना होगा.

3.5 बोलीदाता को या तो बोली प्रस्तुत करते समय या अनुबंधपूर्वसमझौता करने के दौरान या अनुबंध पर हस्ताक्षर करनेसे पहले, क्रेता के अधिकारियों या परिवार के सदस्य एजेंटों, दलालों या अनुबंध के विवरणों के संबंध में या / और ऐसे भुगतानों के बदले में किसी भी प्रकार की सेवाएं प्रदान करने के लिए, किसी अन्य मध्यस्थ के साथ कोई वायदा किया है।

3.6 बोलीदाता, बोली कीपारदर्शिता,निष्पक्षताऔरबोली प्रक्रियाकी प्रगति,अनुबंध मूल्यांकन और अनुबंध के कार्यान्वयन को प्रभावित करने के लिए,अनुबंध में रुचि रखने वाले अन्यपक्षों के साथ सांठगांठ नहीं करेंगे।

3.7 बोलीदाताकिसी भीभ्रष्ट आचरण,अनुचित साधनोंऔर गैरकानूनी गतिविधियोंके लिए, किसी भीप्रकार के लाभको स्वीकार नहीं करेगा।

3.8 बोलीदाता, प्रतियोगितायाव्यक्तिगत लाभके प्रयोजनों के लिए अनुचित तरीकों का प्रयोग नहीं करेंगे या व्यापार समझौतेके हिस्से केरूप मेंखरीदार द्वाराप्रदान की जाने वालीकिसी भी प्रकार की सूचना को, जिस में किसी भी इलेक्ट्रॉनिकडेटाकैरियर में उपलब्ध सूचना सहित व्यवसायिक योजनाओंके संबंध में आपसी संबंध, तकनीकी प्रस्ताव और व्यवसायिक विवरण,शामिल है, की जानकारी,किसी अन्य व्यक्ति तक नहीं पहुंचाएंगे।बोलीदाता यह वचन भी देता है कि ऐसी किसी भी प्रकट हुई जानकारी पर उचित ध्यान देंगे और पर्याप्त सावधानी बरतेंगे।

3.9 बोलीदाताकिसी भी प्रकार की शिकायत प्रत्यक्ष रूप से या किसी भी अन्य तरीके से, बिना किसी तथ्य के और सत्यापित तथ्यों के देने से बचेगें।

3.10 बोलीदाता किसी भी अन्य व्यक्ति को, उपरोक्त कार्रवाई करने के नहीं उकसाएंगे या उकसाने का कारण नहीं बनेगें।

3.11 यदि बोलीदाता या बोलीदाता का कोई कर्मचारी या बोलीदाता की ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति, या तो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, क्रेता के किसी अधिकारीकारिश्तेदार या इसके विपरीतहै या क्रेता के किसी भी रिश्तेदार की बोलीदाता फर्म में रूचि / स्टेक है तोनिविदा को भरतेसमय मेंबोलीदाता द्वारा इसका खुलासा किया जाएगा।

इस उद्देश्य के लिए'रिश्तेदार' शब्द कोकंपनी अधिनियम,के 1956भाग6 में परिभाषित किया गया माना जाएगा।

4. **पूर्व उल्लंघन**

4.1 बोलीदाताघोषणा करता है कि उसके द्वारा इसअखंडतासंधिपर हस्ताक्षर करनेसे तत्कालपहलेके पिछले तीन वर्ष में,किसी भी अन्य कंपनी के साथ, किसी भी दूसरे देश में या भारत में किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के साथ या भारत में किसी भी सरकारी विभाग के साथ, किसी भी प्रकार का ऐसा भ्रष्ट आचरणनहीं किया है जिसके कारण उसके विरूद्ध निविदाप्रक्रियामेंबोली लगाने केबहिष्कारका औचित्य साबित होता हो।

4.2 बोलीदातासहमत है कि यदि वह इस विषय परगलतबयान करता है, तो बोलीदाता को निविदा के प्रयोजन से अयोग्य ठहरायाजा सकता है या पहले से अधिनिर्णित की गई अनुबंध को, इस कारण से,समाप्तकिया जा सकता है।

5. **अग्रिम राशि (प्रतिभूति जमा)**

5.1 वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करते समय, बोलीदाता, क्रेता के पास निम्नलिखित में से किसी भी लिखत पत्र के माध्यम से, अग्रिम राशि / प्रतिभूति के रूप में रू ....की राशि (अनुरोध के प्रस्ताव में निर्दिष्ट किए गए अनुसार) जमा कराएगा :-

(i) ....के पार्टी में बैंक ड्राफ्ट या भुगतान आदेश.

(ii) किसी भी भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी की गई पुष्ट गारंटी, जिसमें क्रेता को गारंटी दी गई राशि का भुगतान, किसी भी प्रकार के हर्जाने या किसी भी प्रकार का कारण पूछे बिना, मांगे जाने पर तीन कार्य दिवस करने का वायदा हो।क्रेता द्वारा भुगतान की मांग करने को भुगतान के निर्णायक सबूत के रूप में माना जाएगा।

(iii) (अनुरोध के प्रस्ताव में निर्दिष्ट किए गए अनुसार) किसी अन्य माध्यम से या किसी अन्य लिखितके द्वारा।

5.2 अग्रिम राशि / प्रतिभूति जमा राशि पांचवर्षकी अवधिके लिए याबोलीदाता और क्रेता, दोनों की पूर्ण संतुष्टि को पूराकरने के लिएअनुबंध के दायित्वोंके पूरा होने तक, वारंटी की अवधि सहित, जो भी इनमें से बाद में हो, तक मान्य होगी.

5.3 सफलबोलीदाताके मामलेमें, अनुच्छों में एक वाक्यांशभीसमाविष्ट किया जाएगा जिसका संबंध खरीद अनुबंध में निष्पादन बॉण्ड से होगा कि इस समझौते के उल्लंघन के लिए बिना कोई कारण बताए दण्ड लगाने के लिए क्रेता द्वारा निष्पादन बॉण्ड की जब्ती का निर्णय लिया जाने पर, उल्ल्घन किए जाने पर दण्ड के प्रावधान लागू होंगे।

5.4 अग्रिम राशि / प्रतिभूति जमा राशि की अवधि के लिए क्रेता द्वारा बोलीदाता को किसी भी प्रकार का कोई ब्याजदेय नहींहोगा।

6. **<u>उल्लंघनों के लिए दण्ड</u>**

6.1 बोलीदाताया इसकेद्वारा नियोजितकिसी भी कर्मचारी द्वारा या इसकी ओर से कार्य करने से, उपरोक्त प्रावधानों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन द्वारा, जहां पर अपेक्षित होगा,क्रेता को निम्नलिखित में से कोई एक या सभी कार्रवाई करने का अधिकार होगा:-

(i) बिनाकोई कारण बताएयाबोलीदाता को कोई मुआवजादिए बिना, तत्कालपूर्वअनुबंध परक्रामण को समाप्त कर दें।हालांकि, अन्यबोलीदाता (ओं) के साथ कार्यवाही जारी रहेगी।

(ii) (अनुबंध पूर्व अवस्था में) जमा की गई अग्रिम राशि और / या प्रतिभूति जमा / निष्पादन बॉण्ड (अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के पश्चात्) को क्रेता द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार पूरी तरह से या आंशिक रूप में, जब्त कर लिया जाएगा और क्रेता के लिए इसका कारण बताना आवश्यक नहीं होगा।

(iii) यदि पहले ही हस्ताक्षर हो चुके हो तो कोई मुआवजा दिए बगैर,अनुबंध को तत्काल निरस्त करने के लिए।

(iv) क्रेता द्वारा पहले से अदा की गई पूरी राशि की वसूली करने के लिए और यदि बोलीदाता कोई भारतीय हो तो भारतीयस्टेट बैंक कीमौजूदाप्रधान उधारीदर से 2% अधिक दर पर ब्याज सहित।बोलीदाता के भारत से बाहर के किसी अन्य देश का होने पर उस पर लिबोर से 2% अधिक ब्याज दर पर।यदि बोलीदाता का कोई भुगतान क्रेता पर बकाया हो तो उक्तराशिऔर ब्याजकी वसूली के लिएबकाया भुगतान काउपयोग किया जासकता है।

(v) बोलीदाता को पहले से किए गए भुगतान की वसूली, ब्याज सहित, करने के लिए बोलीदाता द्वारा जमा की गई बैंक गारंटी तथा निष्पादन बॉण्ड / वारण्टी बॉण्ड का समय से पूर्व भुगतान प्राप्त करके किया जा सकता है.

(vi) बोलीदाता के साथ हुए सभी याकिसी अन्य अनुबंध को निरस्त करने पर क्रेता को ऐसे निरस्तीकरण/ निरसन के परिणम स्वरूप हुई हानि या नुकसान की क्षतिपूर्ति करने के लिए बोलीदाता उत्तरदायी होगा और बोलीदाता को दी जाने वाली ऐसी धनराशि से क्रेता को राशि वसूल करने का अधिकार होगा।

(vii) बोलीदाता को भारत सरकार की भावी बोली देने की प्रक्रिया में भाग लेने से कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए रोक दिया जाए, जिसे क्रेताके विवेक परआगेबढ़ाया जा सकता है.

(viii) बोलीदाता द्वारा इस समझौते का उल्लंघन करके,अनुबंध हासिल करनेके लिए किसीभीबिचौलिएयाएजेंट यादलाल को अदा की गई सारी राशि वसूल करने के लिए।

(ix) जिन मामलों में, क्रेता के साथ बोलीदाता ने किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए है और अखण्डनीय साख पत्र प्राप्त हो गया है,वहां परइसे खोलानहीं जाएगा।

(x) इस समझौते के उल्लंघन के कारण क्रेता द्वारा दण्ड लगाए जाने का निर्णय लिए जाने पर, बिना कोई कारण बताए,निष्पादन बांडकी जब्तीकरने की कार्रवाई करना।

6.2 क्रेता को इस समझौते के तहत उपरोक्त पैरा 6.1 के (ii) से (x) में दी गई सभी कार्रवाई या इन में से कोई भी कार्रवाई करने के साथ साथबोलीदाताया इसके द्वारानियोजितया इसकी ओर से कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध (चाहे यह बोलीदाता के संज्ञान में हो या नहीं),भारतीयदंड संहिता,1860 के अध्याय IX में परिभाषित किए गए अपरोध याभ्रष्टाचारकी रोकथामके तहत अपराध हेतु कार्रवाई करने का अधिकार होगा।

6.3 इससमझौतेके प्रावधानोंका उल्लंघनबोलीदाताद्वारा किए जाने के संबंध में क्रेता द्वारा लिया गया निर्णयअंतिमहोगाऔरबोलीदाता के लिए निर्णायक होगा।हालांकि, बोलीदाता इस समझौते

के उद्देश्य के लिए नियुक्त किए गए स्वतंत्र निगरानी कर्त्ता (कर्त्ताओं) से संपर्ककर सकता है.

7. **<u>मूल्यों में कमी संबंधी वाक्यांश</u>**

बोलीदातावचनदेता है कि उसने समरूप उत्पाद / प्रणाली या उप प्रणाली को किसी भी मंत्रालय /भारत सरकार के किसी भी विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को वर्तमान बोली में प्रस्तावित मूल्य से कम मूल्य पर अपूर्ति नहीं की है/आपूर्ति नहीं कर रहा है औरयदिकिसी भी स्तर परयहपाया जाता हैकि बोलीदाता ने समरूप उत्पाद / प्रणाली या उप प्रणाली को किसी भी मंत्रालय /भारत सरकार के किसी भी विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को वर्तमान बोली में प्रस्तावित मूल्य से कम मूल्य पर अपूर्ति की गई थी तो वह कम कीमत,बीते हुए समयके लिए नियतभत्तेके साथअपनाते हुए, वर्तमान मामले में भी लागू होगी और यदि अनुबंधपहले से हीसमाप्त हो गया हैतो बोलीदाता द्वारा क्रेता को मूल्य की अंतर राशि वापसकरनीहोगी।

8. **<u>स्वतंत्र मानिटर</u>**

8.1 क्रेता ने इस समझोते के लिए,केंद्रीय सतर्कताआयोग की संतुष्टि के अनसार स्वतंत्र मानिटर्स (यहां पर जिन्हें मानिटर कहा जाएगा) की नियुक्ति की है (मानिटरों के नाम व पतेदिए जाने है)।

8.2 मानिटरोंका कार्य,इस समझौते के तहत संबंधित पक्षों के द्वारा, कहां तक तथा किस सीमा तक दायित्वों का अनुपालन किया जाता है, इसकी स्वतंत्रऔरसूक्ष्म रूप से जांच करना है.

8.3 मानिटरोंको संबंधित पक्षों के प्रतिनिधियों के द्वारा अनुदेश नहीं दिए जाएंगें और इन्हें अपना कार्य निष्पक्षता सेऔरस्वतंत्र रूप से निष्पादितकाने दिया जाएगा।

8.4 दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार किया जाता है कि मानिटरोंको बैठक के कार्यवृत्तसहित परियोजना / खरीद से सबंधित सभीदस्तावेजों को देखने का अधिकारहै।

8.5 जैसे हीमानिटरोंके ध्यान में आएगा या इस समझौते के उल्लंघन करने का विश्वास उनको होगाहै, तो वह क्रेता द्वारा नामितप्राधिकारीको इसकी सूचना देंगे।

8.6 बोलीदाता (ओं) द्वारा स्वीकार किया जाता है कि मानिटर को, बोलीदाता द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों सहित, क्रेता के पास उपलब्ध परियोजना के सभी दस्तावेजों को देखने का अधिकार, बिना किसी प्रतिबंध के, है।बोलीदाता भी अपनी परियोजनाके दस्तावेजों को देखने के लिए मानिटर को उसके अनुरोध पर और वैध रूचि प्रदर्शित करने पर,अप्रतिबंधितऔर शर्तरहितपहुँचप्रदान करनी होगी।उप ठेकेदारों पर भी सह नियम लागू होगा। मानिटर का यह अनुबंध के तहत दायित्व होगा कि वह बोलीदाता (ओं) / उप ठेकेदारों की सूचनातथा दस्तावेजों की गोपनीयता बनाए रखें.

8.7 बोलीदाता, मानिटर को परियोजना से संबंधित समस्त बैठकों के बारे में पर्याप्त सूचना प्रदान करेगा बशर्ते कि इस तरह की बैठकोंका पार्टियों के मध्य संविदागत संबंध पर प्रभाव हो सकता हो और पार्टियों के द्वारा मानिटर को ऐसी बैठकों में भाग लेने हेतु प्रस्ताव दिया जा सकता है।

8.8 क्रेता/बोलीदाताद्वारा इससंदर्भकेयाउसेसूचना प्राप्त होने कीतारीख के 8 से 10 सप्ताह के अंदर, मानिटर द्वारा क्रेता की नामित प्राधिकारी/विभाग के सचिव को एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और अवसर के अनुसार,वह इसके 8 से 10 सप्ताह के भीतर, विभाग में क्रेता के सचिव या नामितप्राधिकारी कोएक प्रश्न के लिखितरिपोर्ट प्रस्तुतकरेगा औरसमस्याग्रस्तस्थितियों को सही करने के लिए प्रस्ताव दिया जाएगा।

9. **<u>जांच की सुविधा</u>**

इससमझौते के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन या कमीशन भुगतानके किसी भी आरोप के मामले में,खरीदार याउसकी एजेंसियोंकोबोलीदाताकीलेखा बहियोंसहित सभीदस्तावेजों की जांचकरने का अधिकारहोगाऔरबोलीदाता द्वारा आवश्यक सूचना और दस्तावेजों को अंग्रेजी में प्रदान किया जाएगा और इस प्रकार की जांच करने के लिएहर संभव मददप्रदान की जाएगी।

10. **<u>कानून और अधिकार - क्षेत्र</u>**

यह समझौता भारतीय कानून के अध्याधीन है।इसका निष्पादन और कार्यक्षेत्र क्रेता के स्थान पर किया जाएगा।

11. **<u>अन्य कानूनी कार्रवाईयां</u>**

इसअखण्डतासमझौतेमें नियतकी गईकार्रवाई, किसी भी नागरिक या आपराधिककार्यवाहीसे संबंधित वर्तमान लागू कानून की सीमा के प्रावधानों के अनुसारकी जाएगी और किसी भी प्रकार की अन्य कानूनी कार्यवाही के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के होगी।

12. **<u>वैधता</u>**

इसअखण्डतासमझौतेकी वैधता की अवधि,इसपर हस्ताक्षर किए जानेकी तारीख से दो वर्ष के लिए या क्रेता तथा बोलीदाता/ विक्रेता दोनों की संतुष्टि के अनुसार, अनुबंध की समाप्ति अवधि, वारंटी अवधि सहित, इन में से जो बाद में हो, तक हो सकती है।बोलीदाता के असफल रहने पर, यह अखण्डता समझौता, इस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जानेकी तारीख सेछह महीनेके बाद समाप्त होजाएगा।

12.1 इस समझौते का कोई एक या एक से अधिक प्रावधानअमान्यहोने पर भी,इस समझौते का अनुस्मारक वैध रहेगा।इस अवस्था में,पार्टियां, अपने मूलइरादोंकोएक अनुबंध के रूप में प्रस्तुत करने के लिएप्रयास करेंगी।

इस अखण्डता समझौते पर संबंधित पार्टियों द्वारा, इसके अनुसार, ...(स्थान पर) दिनांक ....को हस्ताक्षर किए गए।

क्रेता	बोलीदाता
अधिकारी का नाम पदनाम विभाग/ मंत्रालय / सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
साक्ष्य	साक्ष्य
1. ____________________	1.____________________
2.____________________	2.____________________

इस वाक्यांश के प्रावधानों को क्रेता की नीति के अनुसार, विदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं के भारतीय एजेंटों के शामिल होने पर, संशोधित/ डिलीट किया जाएगा।

केंद्रीयमाध्यमिकशिक्षा बोर्ड

प्रीत विहार, दिल्ली -92

निविदा सं।001/2015/भर्ती कक्ष　　　　　　　　　　　　　　　दिनांक: 31/03/2015

अनुबंध -IX

निविदा स्वीकृति पत्र

(कंपनी के पत्र शीर्ष पर दिया जाएगा)

दिनांक:_____________

सेवा में,

____

____

____

विषय: निविदा की शर्तों एवं नियमों की स्वीकृति

निविदा संदर्भ सं.: ______________________

निविदा / कार्य का नाम : -

____

____

प्रिय महोदय,

1. मैंने/ हम ने निम्न वेब साईट पर दिए गए विज्ञापन के अनुसार, निविदा / कार्य के लिए निविदा दस्तावेज निम्न वेब साईट से डाउनलोड कर लिए है / प्राप्त कर लिए है :

____

2. मैं/ हम, इसके द्वारा प्रमाणित करते है कि मैने / हमने निविदा दस्तावेज के पृष्ठ संख्या ....से ....तक सभी शर्ते एवं नियम पढ़ लिए है (जिन में अनुबंध, अनुसूची (यां) इत्यादि सभी शामिल है और जोकि निविदा करारनामे का एक हिस्सा है और मैं/ हम, इन में दी गई शर्तों / नियमों /वाक्यांशों का इसके अनुसार अनुपालन करने को बाध्य है।

3. इस स्वीकृति पत्र को प्रस्तुत करते समय, आपके विभाग / संगठन द्वारा समय समय पर जारी किए गए शुद्धि पत्रों को भी ध्यान में रखा गया है.

4. मैं / हम, इस के द्वारा, बिना किसी शर्त के, उपर्युक्त उल्लिखित निविदा दस्तावेज(दस्तावेजों) / शुद्धि पत्रों को पूर्ण रूप से / एकीकृत रूप से स्वीकार करते है।

5. इस निविदा के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन पाए जाने पर, किसी भी अधिकार या उपचार के प्रति बिना किसी दुराग्रह के,आपको अधिकार होगा कि आप उक्त पूरी अग्रिम जमा राशि को जब्त करने सहित इस निविदा / बोली को निरस्त कर सकते है।

भवदीय,

(बोलीदाता के हस्ताक्षर, कार्यालय की सील सहित)

भाग – 10

“जांच सूची”

केंद्रीयमाध्यमिकशिक्षा बोर्ड

प्रीत विहार, दिल्ली -92

निविदा सं।001/2015/भर्ती कक्ष | दिनांक: 31/03/2015

अनुबंध-X

जांच सूची

जांच सूची और तकनीकी बोली के लिए दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने का क्रम

कृपया जांच कर लें कि निविदा में सम्मिलित होने के लिए,नीचे दिए गए सभी दस्तावेजोंकोस्टेशनरी औरअन्य संबंधित वस्तुओं कीआपूर्ति के लिए, प्रस्तुत कर दिया गया है।दस्तावेजों कोअवरोही क्रम मेंप्रस्तुतकिया जाना है।

क्र।सं.	**जांच के लिए भरे जाने वाले दस्तावेज**	**पृष्ठ सं.**
1.	सांविधिक प्राधिकारियों के साथ पंजीकरण प्रमाण पत्र	
2.	पैन / जी आई आर कार्ड की प्रति	
3.	गत दो वर्षों के लिए दायर आय कर विवरण की पावतियों की प्रतियां	
4.	गत दो वर्षों के लिए दायर आय कर विवरण की पावतियां	
5.	सेवा कर पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रतियां	
6.	गत दो वर्षों के दौरान सरकारी मंत्रालयों/सार्वजलिक क्षेत्र के उपक्रमों/ स्वायत निकायों के पास किए गए दो कार्यो का काम करने का अनुभव	
7.	सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों / बैंकों तथा सरकारी विभागों आदि के साथ कार्य करने का 05 वर्ष का अनुभव	
8.	पिछले दो वर्षों के दौरान कम से कम रू. 2 करोड़ के वित्तीय टर्न ओवर, प्रति वर्ष, के दस्तावेज.	
9.	तकनीकी बोली फार्म (अनुबंध - I)	
10.	घोषणा फार्म (अनुबंध - II)	
11.	वित्तीय बोली फार्म (अनुबंध - III)	
12.	बोली फार्म (अनुबंध - IV)	
13.	कार्यनिष्पादन प्रतिभूति बोली फार्म (अनुबंध - V)	
14.	अनुबंध फार्म (अनुबंध - VI)	
15.	बोली खोलने के समय उपस्थित होने हेतु अधिकार पत्र (अनुबंध - VII)	
16.	अखण्डता समझौता फार्म (अनुबंध - VIII)	
17.	**नजदीकी रिश्तेदार का न होने का प्रमाण पत्र (सामान्य शर्तों एवं नियमों का वाक्यांश 41)**	
18.	निविदा स्वीकृति पत्र (अनुबंध -IX)	
19.	जांच सूची (अनुबंध -X)	

केंद्रीयमाध्यमिकशिक्षा बोर्ड

प्रीत विहार, दिल्ली -92

निविदा सं।001/2015/भर्ती कक्ष   दिनांक: 31/03/2015

<u>बोलीदाता कृपया सुनिश्चित कर ले :</u>

क.	किसभी पृष्ठों पर मोहर लगी हो तथा अधिकृत व्यक्ति(यों) द्वारा हस्ताक्षर कर दिए गए हो।

ख.	कि सभी पृष्ठों पर पृष्ठ संख्या दे दी गई हो।

ग.	कि सभी दस्तावेज सुपाठ्य (स्पष्ट रूप से पढ़े जा सकते) हो।

केंद्रीयमाध्यमिकशिक्षा बोर्ड

प्रीत विहार, दिल्ली -92

निविदा सं।001/2015/भर्ती कक्ष   दिनांक: 31/03/2015

अनुबंध –क(A)

आउटसोर्स के माध्यम से सीबीएसई के लिए अपेक्षित मानव शक्ति की सूची

(गैर–शैक्षिक स्टॉफ)

क्र।सं.	पद का नाम	आयु सीमा	योग्यता	अनुभव एवं कार्य कशुलता	परिलब्धियां
1.	परामर्शदाता	65 वर्ष	समय समय पर विनिर्दिष्ट	आवश्यकतानुसार	कार्य एवं अनुभव पर आधारित
2.	कंप्यूटर सहायक	18-40 वर्ष	अनिवार्य : कक्षा XII पास वांछनीय : कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा / प्रमाण पत्र	(i) टाइपिंग की स्पीड़ अंग्रेजी : 35 श. प्र. मि. हिंदी : 30 श. प्र. मि. (ii) कंप्यूटर पर कार्य करने का अच्छा ज्ञान (iii) कम से कम 02 वर्ष का अनुभव ।	रू. 13,000/-
3.	सहायक मल्टी टॉस्क / टाइपिस्ट / कप्यूटर सहायक / स्टेनों	18 से 40 वर्ष	टाइपिंग, कंप्यूटर अनुप्रयोगों में प्रवीणता के साथ स्नातक, फाइलों के रख रखाव, टिप्पण - प्रारूप्पण, अच्छा सम्प्रेषण कौशल हो और शार्ट हेण्ड का ज्ञान हो ।	(ii)टाइपिंग की स्पीड़ अंग्रेजी : 35 श. प्र. मि. हिंदी : 30 श. प्र. मि. (ii) कंप्यूटर पर कार्य करने का अच्छा ज्ञान (iii) कम से कम 02 वर्ष का अनुभव ।	रू. 16,500/-
4.	अनुभाग अधिकारी (आई टी)	अधिकतम 50 वर्ष	अनिवार्य: कंप्यूटर साईंस / इंजीनियरिंग या कंप्यूटर अनुप्रयोगों या सूचना प्रौद्योगिकी में बेचलर डिग्री हो ।PHP, विण्डोज, लिनक्स, डाटा बेस आदि में काम करने का ज्ञान हो। वांछनीय : डेस्क टॉप पब्लिशिंग, डाटा प्रबंधन तथा CCE के पहलूओं का अनुभव हो	इंटरनेट टेक्नॉलाजी, सॉफ्ट वेयर ईंजीनियरिंग, वेब डिजायनिंग, डाटा बेस आदि में कम से कम 01वर्ष का अनुभव।	रू. 27,500/-
5.	लेखाकार	अधिकतम 50 वर्ष (सेवा निवृत्त कर्मचारी 62 वर्ष)	अनिवार्य: कामर्स / एम बी ए (वित्त) /सनदी लेखाकार वांछनीय : टैली जैसे लेखांकन सॉफ्ट वेयर और कंप्यूटर के अनुप्रयोगों का ज्ञान हो ।	संबंधित क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव.	रू. 27,500/-

6.	प्रोग्राम सहायक	18 से 40	<u>अनिवार्य:</u> बी सी ए में डिग्री हो या बी एस सी (कंप्यूटर / आई टी) हो। <u>वांछनीय:</u> कंप्यूटर अनुप्रयोगों, प्रोग्रामिंग कौशलों, डाटा बेस आदि का ज्ञान हो।		रू. 27,500/-
7.	मल्टी टॉस्ट स्टॉफ	18 से 40	दसवीं कक्षा पास	किसी संस्थान में काम करने का 2 वर्ष का अनुभव हो।	रू. 11,000/-
8.	टेलि-कालर	18 से 40	बारहवीं कक्षा पास	(i) टेलि कालिंग में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव हो। (ii) अंग्रेजी तथा हिन्दी में धारा प्रवाह.	रू. 13,200/-
9.	माली	18 से 40	आठवीं कक्षा पास	संबंधित क्षेत्र में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव।	रू. 11,000/-
10.	लिफ्ट आपरेटर	18 से 40	दसवीं कक्षा पास	संबंधित क्षेत्र में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव।	रू. 11,000/-
11.	ड्राईवर	18 से 50	दसवीं कक्षा पास	(i) वैध वाणिज्यिक वाहन चलाने का लाईसेंस हो। (ii) सरकारी वाहन चलाने का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव।	रू. 13,000/-
12.	इलेक्ट्रिशियन / टेलिफोन तकनीशियन	18 से 40	दसवीं कक्षा पास	(i) आई टी आई से इलेक्ट्रिशियन में डिप्लोमा / कोर्स में प्रमाण पत्र हो। (ii) कम से कम 2 वर्ष का अनुभव।	रू. 12,000/-

केंद्रीयमाध्यमिकशिक्षा बोर्ड

प्रीत विहार, दिल्ली -92

निविदा सं।001/2015/भर्ती कक्ष दिनांक: 31/03/2015

13.	कारपेन्टर	18 से 40	आठवीं कक्षा पास	कम से कम 2 वर्ष का अनुभव।	रू। 11,000/-
14.	प्लम्बर	18 से 40	आठवीं कक्षा पास	कम से कम 2 वर्ष का अनुभव।	रू। 11,000/-
15.	मजदूर	18 से 45	आठवीं कक्षा पास	- लागू नहीं -	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की न्यूनतम मजदूरी